अध्याय-II

राज्य के वित्त

2.1 राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन

यह खंड वित्तीय वर्ष 2022–23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का एक समग्र दृश्य प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित संकेतकों के विश्लेषण की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

तालिका 2.1: वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 11.64 प्रतिशत की वृद्धि ✓ राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियों में 10.94 प्रतिशत की वृद्धि ✓ गैर–कर प्राप्तियों में 5.63 प्रतिशत की वृद्धि ✓ केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश में 19.37 प्रतिशत की वृद्धि ✓ भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान में 6.87 प्रतिशत की कमी
राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय में 13.11 प्रतिशत की वृद्धि ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 7.00 प्रतिशत की वृद्धि ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 8.68 प्रतिशत की वृद्धि ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 27.96 प्रतिशत की वृद्धि ✓ सहायता अनुदान तथा अंशदान पर व्यय (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं योगदान) में 31.74 प्रतिशत की वृद्धि
पूँजीगत प्राप्तियां	✓ ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 80.49 प्रतिशत की वृद्धि ✓ गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में 37.17 प्रतिशत की वृद्धि
पूँजीगत व्यय	✓ पूँजीगत व्यय में 18.84 प्रतिशत की वृद्धि ✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 53.57 प्रतिशत की वृद्धि ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 12.55 प्रतिशत की वृद्धि ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 20.07 प्रतिशत की वृद्धि
ऋण और अग्रिम	✓ ऋणों और अग्रिमों के संवितरण में 21.49 प्रतिशत की कमी ✓ ऋण और अग्रिमों की वसूली में 37.17 प्रतिशत की वृद्धि
लोक ऋण	✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 80.49 प्रतिशत की वृद्धि ✓ लोक ऋण के पुनर्भुगतान में 5.74 प्रतिशत की कमी
लोक लेखा	✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 15.34 प्रतिशत की वृद्धि ✓ लोक लेखा से संवितरण में 15.95 प्रतिशत की वृद्धि
रोकड़ अवशेष और निवेश	✓ 31 मार्च 2023 की तुलना में 31 मार्च 2024 को नकद शेष और निवेश में ₹ 25,525.77 करोड़ (77.71 प्रतिशत) की वृद्धि।

स्रोत : सम्बन्धित वर्ष के वित्त लेखे

2.2 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

2019–24 की अवधि के लिये राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रेणी आँकड़े ***परिशिष्ट 2.1*** में दिये गये हैं। **तालिका 2.2** वर्ष 2022–23 के सापेक्ष वर्ष 2023–24 में राज्य के वित्तीय संसाधनों के घटकों व उप–घटकों एवं निधियों के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.2: वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की तुलना

	विवरण	2022–23 (₹ करोड़ में)	2023–24 (₹ करोड़ में)	वृद्धि / कमी (प्रतिशतता में)
स्रोत	प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष और निवेश	44533	32848	(-)26.24
	राजस्व प्राप्तियां	417241	465801	11.64
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	1337	1834	37.17
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	44156	99265	124.81
	विविध पूँजी प्राप्तियां	0	0	-
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)*	8795	7109	(-)19.17
	आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	0	397	-
	योग	**516062**	**607254**	**17.67**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	379978	429788	13.11
	पूँजीगत व्यय	93028	110555	18.84
	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	10208	8015	(-)21.49
	आकस्मिकता निधि से संवितरण	0.06	522	-
	अन्तिम रोकड़ अवशेष एवं निवेश	32848	58374	77.71
	योग	**516062**	**607254**	**17.67**

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* *मुख्यशीर्ष 8671–विभागीय अवशेष, 8672–स्थायी रोकड़ अग्रदाय एवं 8673–रोकड़ अवशेष निवेश लेखा और रक्षित निधि में निवेश जो आरम्भिक एवं अन्तिम अवशेष का भाग है, के अन्तर्गत लेन–देन को छोड़कर।*

2.2.1 वर्ष 2023–24 के दौरान निधियों के घटक–वार स्रोतों और अनुप्रयोगों को **चार्ट 2.1** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.1: वर्ष 2023–24 के दौरान संसाधनों का संघटन और अनुप्रयोग

संसाधनों के संघटन (प्रतिशत में)	संसाधनों के अनुप्रयोग (प्रतिशत में)
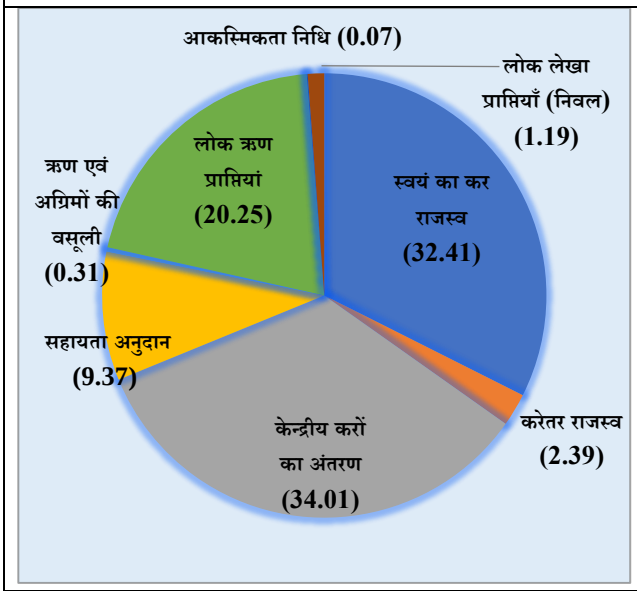	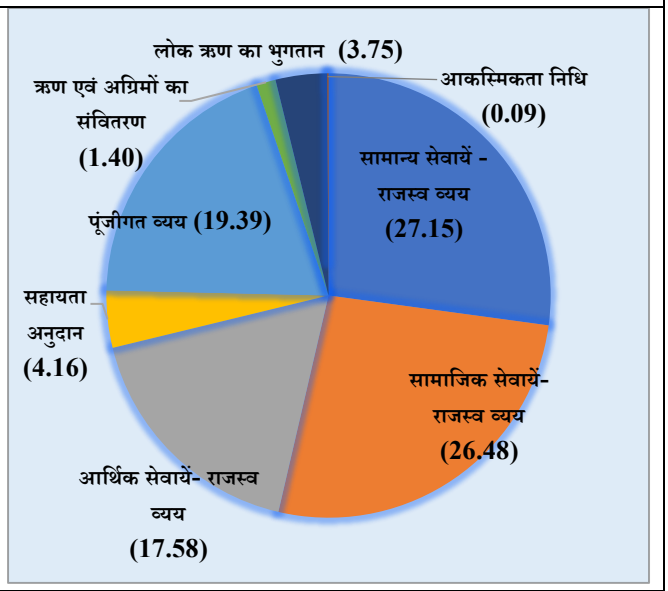

स्रोत: वित्त लेखे 2023–24

2.3 राज्य के संसाधन

यह खण्ड वर्ष 2019–20 से 2023–24 की अवधि में राज्य के संसाधनों एवं उनकी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

वर्ष 2023–24 की अवधि मे राज्य की प्राप्तियों का संघटन **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्तियों के संघटन का विवरण

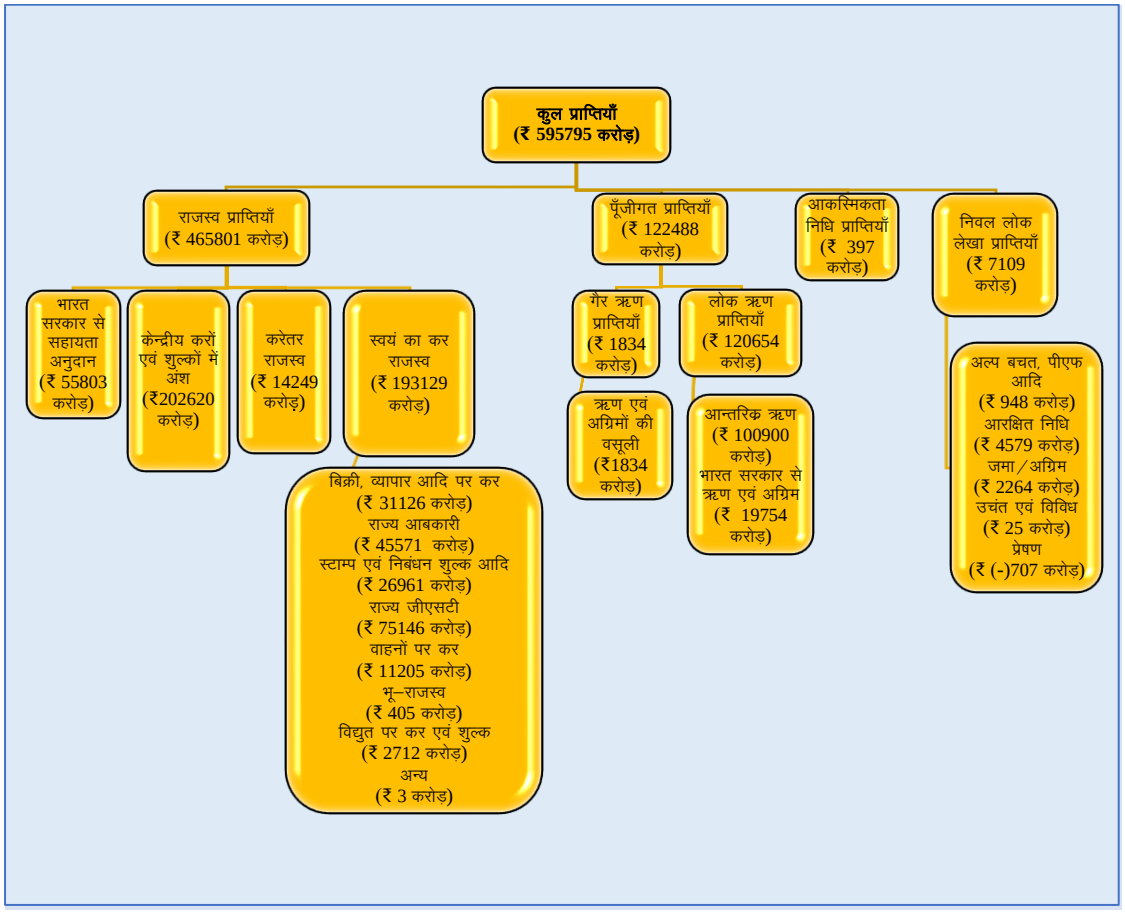

स्रोत: वित्त लेखे 2023–24

वर्ष 2023–24 के दौरान में राज्य की कुल प्राप्तियां ₹ 5,95,795 करोड़ थी। इसमें ₹ 4,65,801 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां, ₹ 1,22,488 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियां और ₹ 7,109 करोड़ की निवल लोक लेखा प्राप्तियां[4] सम्मिलित है। राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,93,129 करोड़ का स्वयं का कर राजस्व, ₹ 14,249 करोड़ का करेतर राजस्व, ₹ 2,02,620 करोड़ के केन्द्रीय करों एवं शुल्कों का अंश और ₹ 55,803 करोड़ का भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है। पूँजीगत प्राप्तियों में ₹ 1,834 करोड़ की गैर–ऋण प्राप्तियां एवं ₹ 1,20,654 करोड़ की लोक ऋण प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

यह प्रस्तर कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है। इसके बाद प्राप्तियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण है, जिन्हें राज्य की स्वयं की प्राप्तियों और केन्द्र सरकार से प्राप्तियों में विभाजित किया जाता है।

[4] निवल लोक लेखे प्राप्तियां वित्तीय वर्ष के अन्त में लघु बचत और भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा/अग्रिम, उचन्त एवं विविध और प्रेषणों का निवल अवशेष है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और वृद्धि

पाँच वर्ष की अवधि 2019–24 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के सापेक्ष कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों और वृद्धि को **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3 : राज्य के राजस्व प्राप्तियों, स्वयं के कर राजस्व और करेतर राजस्व की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व प्राप्तियां (आरआर)	366393	296176	371011	417241	465801
आरआर *की वृद्धि दर (प्रतिशत)*	*11.04*	*(-)19.16*	*25.27*	*12.46*	*11.64*
राजस्व प्राप्तियां					
स्वयं का कर राजस्व	122826	119897	147368	174087	193129
स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर *(प्रतिशत)*	2.25	(-)2.38	22.91	18.13	10.94
केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	117818	106687	160358	169745	202620
करेतर राजस्व	81705	11846	11436	13489	14249
भारत सरकार से सहायता अनुदान	44044	57746	51849	59920	55803
भारत सरकार से सहायता अनुदान की वृद्धि दर	*2.45*	*31.11*	*(-)10.21*	*15.57*	*(-)6.87*
स्वयं के राजस्व (स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व)	204531	131743	158804	187576	207378
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	*36.15*	*(-)35.59*	*20.54*	*18.12*	10.56
जीएसडीपी (₹ करोड़ में) (2011–12 श्रेणी)	1700062	1640097	1981367	2284104	2547861
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.45	(-)3.53	20.81	15.28	11.55
आरआर / जीएसडीपी (प्रतिशत)	21.55	18.06	18.73	18.27	18.28
उछाल अनुपात[5]					
जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य के स्वयं का कर राजस्व उछाल	*0.30*	*	*1.10*	*1.19*	0.95

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

** चूँकि जीएसडीपी की वृद्धि नकारात्मक थी, इसलिये उछाल की गणना नहीं की गयी ।*

तालिका 2.3 में वर्णित आँकड़ों पर आधारित विश्लेषण से स्पष्ट है कि:

- वर्ष 2023–24 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की राजस्व प्राप्तियां ₹ 4,65,801 करोड़ थी। 2019–24 की अवधि के दौरान चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 6.19 प्रतिशत थी। विगत वर्ष (2022–23) की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2023–24 में 11.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से वर्ष 2022–23 की तुलना में केन्द्रीय कर हस्तांतरण के अन्तर्गत केन्द्रीय

[5] उछाल अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में एक राजकोषीय चर की प्रतिक्रिया के परिमाप को इंगित करता है।

वस्तु एवं सेवा कर (27.75 प्रतिशत) और निगम कर के अलावा आय पर कर (25.97 प्रतिशत) तथा स्वयं के कर राजस्व (10.94 प्रतिशत) की उच्च प्राप्तियों के कारण हुई।

- राज्य सरकार ने बजट अनुमान वर्ष 2023–24 में ₹ 5,70,866 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया था जिसे संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 5,25,218 करोड़ कर दिया गया। बजट अनुमान वर्ष 2023–24 की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में, स्वयं के कर राजस्व में 26 प्रतिशत, करेतर राजस्व में 40 प्रतिशत और भारत सरकार से सहायता अनुदान में 45 प्रतिशत की कमी आई थी। राज्य, स्वयं के कर राजस्व में 9 प्रतिशत और भारत सरकार से सहायता अनुदान में 46 प्रतिशत कमी के कारण संशोधित अनुमानों को भी प्राप्त नहीं कर सका।

- वर्ष 2019–24 के दौरान जीएसडीपी के सापेक्ष राज्य के स्वयं के कर राजस्व में उछाल का अनुपात उतार–चढ़ाव भरा रहा, यह वर्ष 2022–23 मे सबसे अधिक 1.19 तथा वर्ष 2019–20 मे सबसे कम 0.30 था।

- भारत सरकार से सहायता अनुदान 2022–23 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के 14.36 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2023–24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 11.98 प्रतिशत था।

वित्त लेखे के अनुसार अवधि 2019–24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों और संघटन को **चार्ट 2.3 एवं चार्ट 2.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3 वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

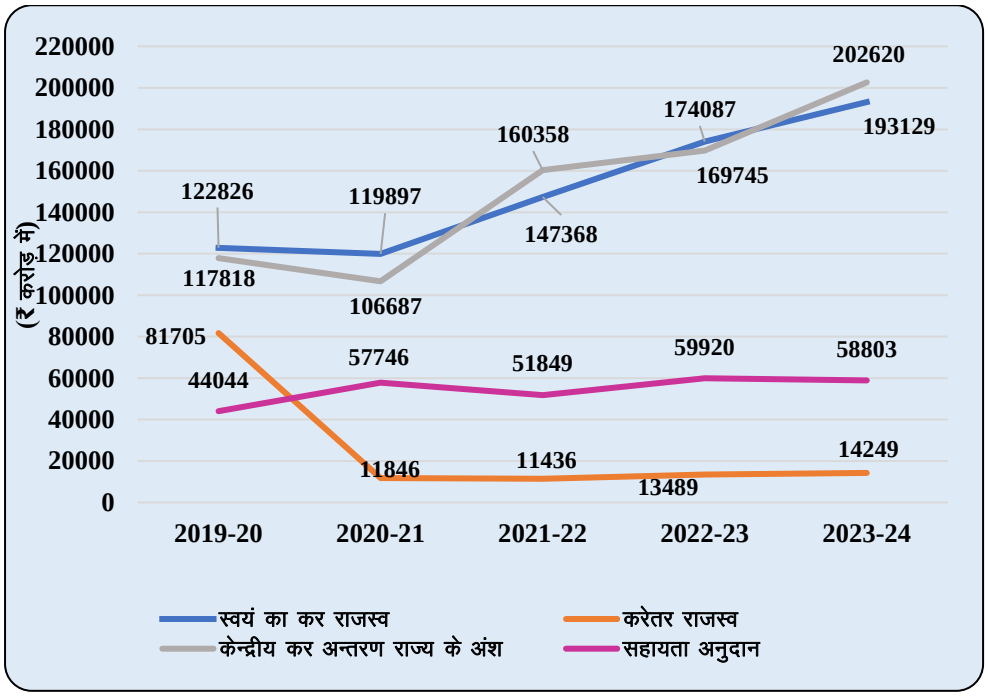

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.4: वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां

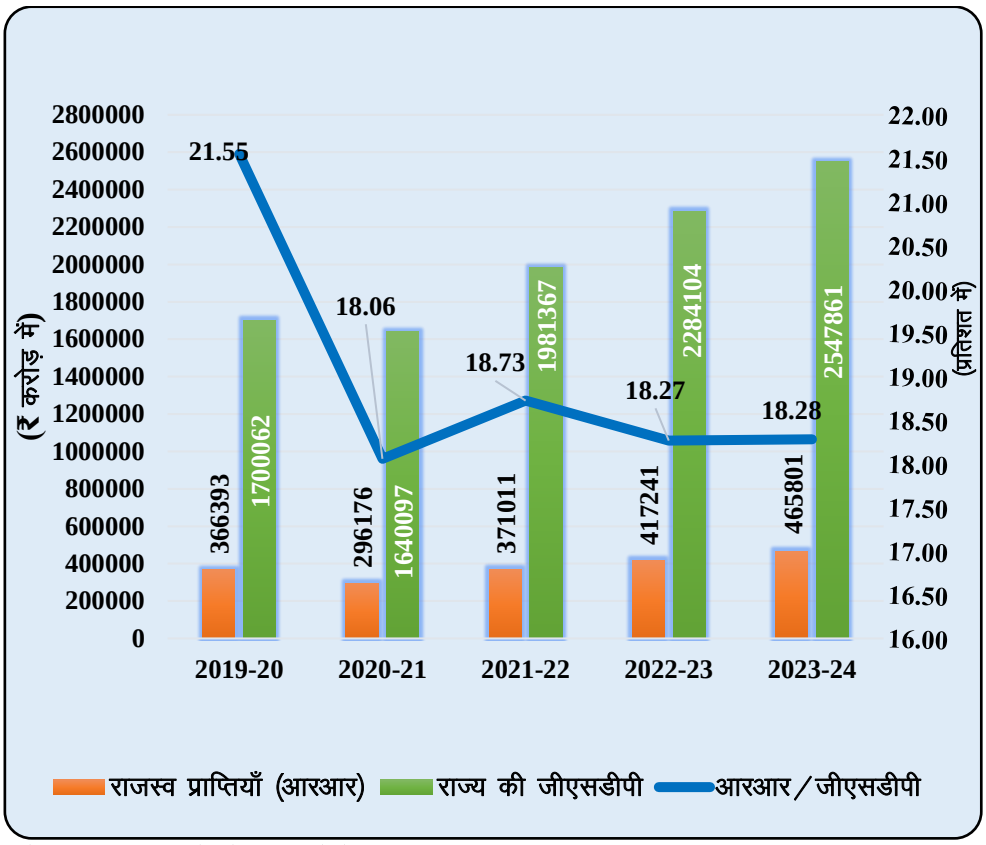

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

राज्य के स्वयं के संसाधनों में स्वयं का कर राजस्व और करेतर राजस्व सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, भू–राजस्व, विद्युत पर कर और शुल्क, सामानों एवं यात्रियों पर कर आदि हैं। करेतर राजस्व के स्रोतों में राजकोषीय सेवाओं से प्राप्तियां यथा सरकार द्वारा दिए गए बकाया ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियां एवं रोकड़ अवशेष का निवेश, लाभांश और इक्विटी निवेश से लाभ, खनिज, वन और वन्य जीवन, के संरक्षक के रूप में उन रखी गई सम्पत्ति के उपयोग की अनुमति के लिए रायल्टी शुल्क या ऐसी अन्य सेवाओं और सरकार के तन्त्र के माध्यम से प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए उपयोग शुल्क सम्मिलित हैं। 2019–24 की अवधि के दौरान स्वयं के कर/करेतर राजस्व के संग्रहण का विवरण ***परिशिष्ट 2.2*** में दिया गया है।

(i) स्वयं का कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी), बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, भू–राजस्व आदि सम्मिलित हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व ₹ 1,93,129 करोड़ था। वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान, यह 2019–20 के ₹ 1,22,826 करोड़ से

57.23 प्रतिशत (₹ 70,303 करोड़) बढ़कर 2023–24 में ₹ 1,93,129 करोड़ हो गया। स्वयं का कर राजस्व की वृद्धि की प्रमुख प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2019–24 के दौरान स्वयं का कर राजस्व

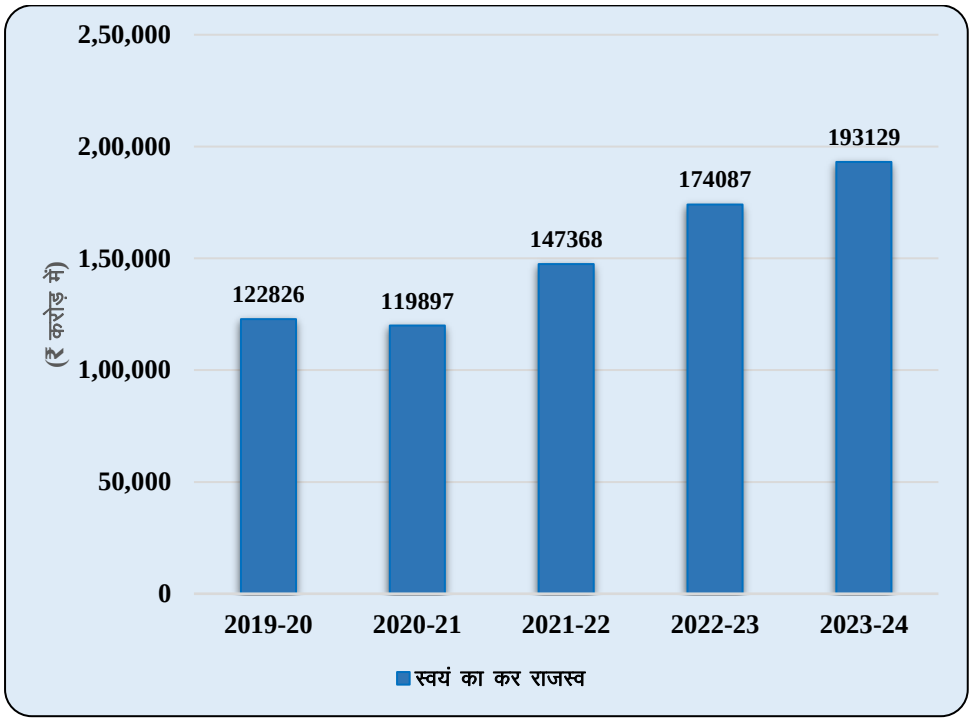

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान राज्य के स्वयं का कर राजस्व के घटकों के अन्तर्गत प्राप्तियों का विवरण **तालिका 2.4** में दिया गया है।

तालिका 2.4: वर्ष 2019–24 के दौरान राज्य की स्वयं का कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	राजस्व मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पार्कलाईन
1	बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	20517	22127	27058	31979	31126	
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	47232	42860	54594	64141	75146	
3	राज्य आबकारी	27325	30061	36320	41253	45571	
4	वाहनों पर कर	7715	6483	7776	9059	11205	
5	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	16070	16475	20048	24844	26961	
6	भू–राजस्व	504	297	193	285	405	
7	विद्युत पर कर एवं शुल्क	3453	1587	1366	2519	2712	
8	अन्य कर	10	7	13	7	3	
	योग	**122826**	**119897**	**147368**	**174087**	**193129**	

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.4 से यह स्पष्ट है कि:

- वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में 11 प्रतिशत की समग्र वृद्धि मुख्य रूप से राज्य वस्तु और सेवा कर में ₹ 11,005 करोड़, राज्य आबकारी में ₹ 4,318 करोड़, स्टाम्प और निबन्धन शुल्क में ₹ 2,117 करोड़ तथा वाहनों पर कर में ₹ 2,146 करोड़ वृद्धि के कारण हुई थी।
- राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) जो राज्य के कर राजस्व का सबसे बड़ा घटक है, वर्ष 2023–24 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व की कुल प्राप्तियों का 38.91 प्रतिशत था। वर्ष 2023–24 के दौरान, एसजीएसटी संग्रह का बजट अनुमान ₹ 1,08,212 करोड़ था, जिसके सापेक्ष वास्तविक संग्रह ₹ 75,146 करोड़ था जो अनुमान से 30.56 प्रतिशत कम था। तथापि विगत वर्ष की तुलना मे एसजीएसटी 17.16 प्रतिशत अधिक था।
- राज्य आबकारी में वृद्धि (11 प्रतिशत) मुख्य रूप से देशी स्प्रिट में ₹ 2,984.70 करोड़, विदेशी मदिरा एवं स्प्रिट में ₹ 1,183.29 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई थी।

वस्तु एव सेवा कर (जीएसटी)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वर्ष 2022–23 में ₹ 64,140.91 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) संग्रह ₹ 75,146.62 करोड़ था, इस प्रकार इसमें ₹ 11,005.71(17.16 प्रतिशत) करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई। इसके साथ–साथ राज्य को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत निवल आय में राज्य के अंश के रूप में ₹ 61,492.64 करोड़ प्राप्त हुए। जीएसटी के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 1,36,639.26 करोड़ रुपये थी। राज्य को 2023–24 के दौरान जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के कारण राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 4,070.32 करोड़ की गैर–ऋण क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई।

वर्ष 2023–24 के दौरान, विगत वर्ष 2020–21, 2021–22 और 2022–23 से संबंधित राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के ₹ 343.38 करोड़ की समायोजन प्रविष्टियाँ आरबीआई के आंकड़ों एवं वित्त लेखे में अंकित आंकडों के बीच अंतर के कारण राज्य सरकार द्वारा की गईं। इसलिए, 2023–24 में एसजीएसटी में ₹ 343.38 करोड़ की वृद्धि समायोजन के कारण है।

स्वयं के कर राजस्व बकाया का विश्लेषण

बकाया राजस्व से तात्पर्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व की विलम्बित वसूली से है। 31 मार्च 2024 को बकाया राजस्व ₹ 53,006.27 करोड़ था, जिसमें से ₹ 15,604.83 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे, जैसा कि **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5 : बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

	राजस्व की मद	31 मार्च 2024 को लम्बित धनराशि	31 मार्च 2024 को पाँच वर्ष से अधिक समय से लम्बित धनराशि
1.	बिक्री व्यापार आदि पर कर	32556.24	15324.46
2.	राज्य वस्तु और सेवा कर	16307.13	0.00
3.	वाहनों पर कर	3560.25	0.00
4.	राज्य आबकारी	46.89	42.45
5.	स्टाम्प और निबन्धन	532.99	237.92
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	2.77	0.00
	योग	**53,006.27**	**15,604.83**

स्रोत : राज्य कर विभाग, परिवहन आयुक्त, आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ ।

(ii) करेतर राजस्व

वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व के प्रमुख स्रोत और उनकी प्रवृत्ति का विश्लेषण **तालिका 2.6** में दिया गया है:

तालिका 2.6: वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान करेतर राजस्व की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	स्पार्कलाईन
(i) ब्याज प्राप्तियाँ	1469	1115	1250	1259	1229	
(ii) लाभांश एवं लाभ	39	105	212	141	50	
(iii) अन्य करेतर प्राप्तियाँ:						
(क) विभिन्न सामान्य सेवायें	72044	572	295	486	(-)800	
(ख) अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	2181	3113	2655	3351	3987	
(ग) ऊर्जा	1044	1309	1769	965	1882	
(घ) सिंचाई (वृहद, मध्यम एवं लघु)	1024	1174	1120	1280	1340	
(ड.) सड़क एवं पुल	707	997	640	855	578	
(च) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	480	505	452	672	1438	
(छ) अन्य एवं विविध	2717	2956	3043	4480	4545	
योग	**80197**	**10626**	**9974**	**12089**	**12970**	
महायोग [(i), (ii) एवं (iii)]	**81705**	**11846**	**11436**	**13489**	**14249**	

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य की करेतर प्राप्तियां सर्वाधिक रहीं। तथापि, वर्ष 2019–20 में उच्च करेतर प्राप्तियां मुख्य रूप से निक्षेप निधि से अवशेषों ₹ 71,180 करोड़ को "विविध सामान्य सेवा शीर्ष" के अन्तर्गत बिना नगद प्राप्ति के स्थानांतरण के कारण थी। वर्ष 2023–24 के दौरान, कुल करेतर राजस्व प्राप्तियां

₹ 14,249 करोड़ थी, जो विगत वर्ष की तुलना में 5.63 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। वृद्धि मुख्य रुप से उर्जा के अन्तर्गत ₹ 917 करोड़ (95 प्रतिशत), गैर–लौह खनन और धातुकर्म उद्योगों की प्राप्तियों में ₹ 636 करोड़ (19 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति में ₹ 766 करोड़ (114 प्रतिशत) की थी। विगत वर्ष (2022–23) की तुलना में वृद्धि विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 1,287 करोड़ (265 प्रतिशत) की कम प्राप्ति से प्रति–संतुलित थी।

2.3.2.3 केन्द्र सरकार से अन्तरण

केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य सरकार के अंश के घटक निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, सेवा कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर और एकीकृत वस्तु और सेवा कर आदि हैं। 2014–15 से 2023–24 की अवधि के दौरान केन्द्रीय कर हस्तांतरण और अनुदान नीचे **चार्ट 2.6** में दिए गए हैं:

चार्ट 2.6: केन्द्र सरकार से हस्तांतरण की प्रवृत्तियॉं

(₹ करोड़ में)

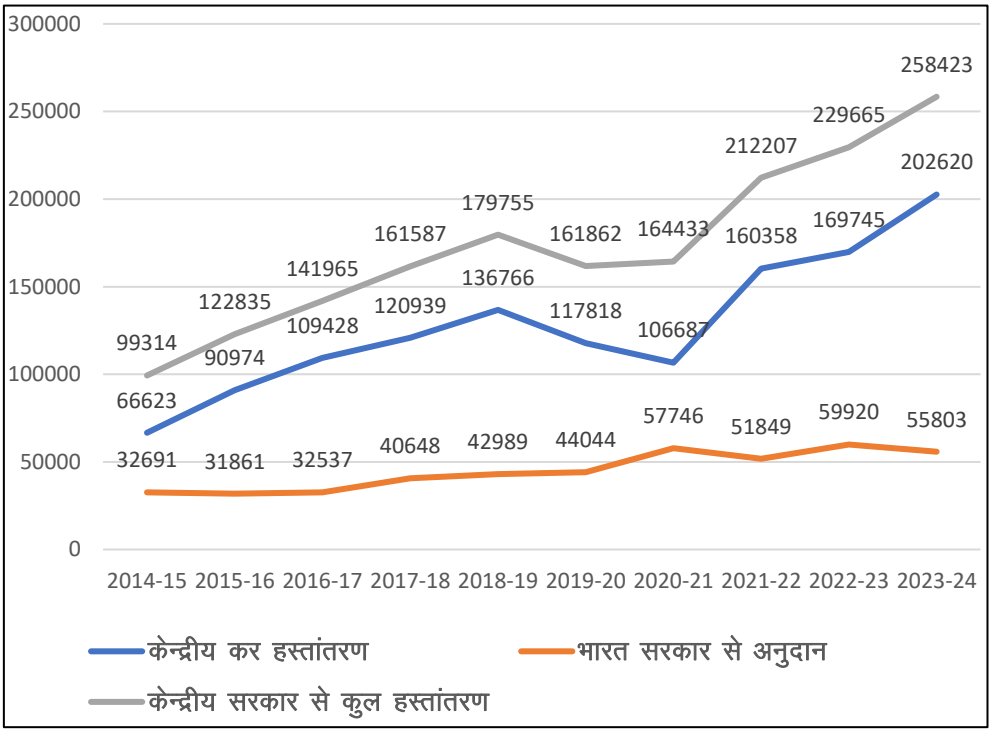

वर्ष 2023–24 के दौरान, भारत सरकार से स्थानांतरण, (₹ 2,58,423 करोड़) जिसमें केन्द्रीय करों और शुल्कों मे राज्य का अंश (₹ 2,02,620 करोड़) और सहायता अनुदान (₹ 55,803 करोड़) सम्मिलित था, जो कि राज्य की राजस्व प्राप्तियों (₹ 4,65,801 करोड़) का 55.00 प्रतिशत था। वर्ष 2022–23 की तुलना में भारत सरकार से कुल हस्तांतरण 13 प्रतिशत (₹ 28,758 करोड़) अधिक था।

(i) केन्द्रीय कर अन्तरण

चौदहवें वित्त आयोग (2015–20) एवं 2020–24 की अवधि के लिये पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमानों की तुलना में राज्य सरकार को केन्द्रीय करों और शुल्कों में अंश के सापेक्ष वास्तविक अवमुक्त धनराशि **तालिका 2.7** में दी गई है।

तालिका 2.7: अनुमान के सापेक्ष उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय अंश का वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के अनुमान	वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार अनुमान	वास्तविक हस्तांतरण	अन्तर
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)= (4)-(3)**
2015-16	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय का 17.959 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की शुद्ध आय का 18.205 प्रतिशत। (14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार)	104297	90973.69	(-)13323.31
2016-17		120355	109428.29	(-)10926.71
2017-18		139070	120939.14	(-)18130.86
2018-19		160892	136766.46	(-)24125.54
2019-20		186352	117818.30	(-)68533.70
2020-21	सभी साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय का 17.931 प्रतिशत। (15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार)	153342	106687.01	(-)46654.99
2021-22	सभी साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय का 17.939 प्रतिशत। (15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार)	118145	160358.05	42213.05
2022-23		131426	169745.30	38319.30
2023-24		147886	202619.69	54733.69

पाँच वर्ष की अवधि 2019–24 के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में उत्तर प्रदेश के अंश के अन्तर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति **तालिका 2.8** में दी गई है।

तालिका 2.8: 2019–24 की अवधि के दौरान केन्द्रीय कर हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	33434	31611	45919	48136	61493
निगम कर	40171	32258	45807	56507	60817
आय पर कर से भिन्न निगम कर	31477	33080	47482	55758	70236
कस्टम शुल्क	7468	5606	11922	6697	7101
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	5192	3577	6693	2101	2687
सेवा कर	0	475	2360	266	38
अन्य कर[6]	76	80	175	280	248
योग	117818	106687	160358	169745	202620
विगत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि प्रतिषत	(-)13.85	(-)9.45	50.31	5.85	19.37
राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर हस्तांतरण का प्रतिशत	32.16	36.02	43.22	40.68	43.50

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.8 से स्पष्ट है कि वर्ष 2023–24 में राज्यांश के अन्तर्गत केन्द्रीय करों और शुल्कों से सम्बन्धित प्राप्तियों में वर्ष 2022–23 के सापेक्ष ₹ 32,875 करोड़

[6] इसमें सम्पत्ति पर कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर, माल एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क सम्मिलित हैं ।

(19.37 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। केन्द्रीय करों और शुल्कों का अंश, राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 43.50 प्रतिशत था।

(ii) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार को भारत सरकार (जीओआई) से उप मुख्य शीर्षों जैसे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और भारत सरकार से अन्य अन्तरण के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्त हुआ था। वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति **तालिका 2.9** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.9: 2019–24 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना–गत योजनाओं हेतु अनुदान					
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान (सीएसएस)	25824	32342	31227	35575	38828
वित्त आयोग अनुदान	12965	16023	12306	12384	12891
राज्य/विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र के लिए अन्य **अन्तरण/अनुदान**	5255	9381	8316	11961	4084
योग	**44044**	**57746**	**51849**	**59920**	**55803**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	2.45	31.11	(-)10.21	15.57	(-)6.87
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष सहायता अनुदान की प्रतिशतता	12.02	19.50	13.98	14.36	11.98

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.9 से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत 2019–24 की अवधि के दौरान समग्र वृद्धि 26.70 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2019–20 मे ₹ 44,044 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹ 58,803 करोड़ हो गई। तथापि, वर्ष 2023–24 में, विगत वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान में 6.87 प्रतिशत (₹ 4,117 करोड़) की कमी हुई थी। राज्य सरकार को वर्ष 2023–24 मे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 38,828 करोड़ प्राप्त हुए, जो वर्ष 2022–23 की तुलना में 9.14 प्रतिशत अधिक था, जो मुख्यतः कृषि विभाग के अन्तर्गत ₹ 2,712 करोड़ (533 प्रतिशत), नगरीय विकास विभाग के अन्तर्गत ₹ 2,705 करोड़ (70 प्रतिशत), समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत ₹ 1,870 करोड़ (58 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण के अन्तर्गत ₹ 625 करोड़ (51 प्रतिशत) बढ़े हुए सहायता अनुदान प्राप्ति के कारण थी। तथापि, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत ₹ 3,419 करोड़ (28 प्रतिशत), चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ₹ 1,343 करोड़ (100 प्रतिशत), समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत ₹ 644 करोड़ (17 प्रतिशत) तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत ₹ 324 करोड़ (13 प्रतिशत) इत्यादि विभागों के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्तियों मे कमी आयी थी।

एकल नोडल एजेंसी– वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अन्तर्गत राशि अवमुक्त करने तथा एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से अवमुक्त राशि के उपयोग की निगरानी करने के लिए प्रक्रिया को अधिसूचित (मार्च 2021) किया था। राज्य सरकार से अपेक्षा की गई थी कि प्रत्येक सीएसएस के क्रियान्वयन के लिए एक एसएनए नामित करे। एसएनए राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एक एकल नोडल खाता, ऐसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खोलेगा, जो राज्य सरकार द्वारा शासकीय कार्य करने के लिये प्राधिकृत हो। प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार को आरबीआई के अपने लेखे में प्राप्त केन्द्रांश एवं संगत राज्यांश को सम्बन्धित एसएनए के लेखे में हस्तांतरित करना है।

सीजीए के पीएफएमएस पोर्टल के अनुसार, राज्य सरकार को अपने कोषागार खातों में वर्ष 2023–24 के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 61,528.38 करोड़ रुपये प्राप्त हुए (जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय पेयजल मिशन के लिये एस्क्रो एकाउन्ट में हस्तांतरित ₹ 16,950.03 करोड़ को सम्मिलित करते हुए)। राज्य सरकार द्वारा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश ₹ 76,162.63 करोड़ की राशि के हस्तांतरण की प्रणाली उपलब्ध नहीं करायी गयी । एसएनए प्रतिवेदन के अनुसार 31 मार्च 2024 31 को एसएनए के बैंक खातों में ₹ 19,478.31 करोड़ बिना व्यय किए पड़े थे। वित्त लेखे एवं एसएनए प्रतिवेदन के अनुसार व्यय के आंकड़े राज्य सरकार एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश के मध्य समायोजन के अधीन थे ।

(iii) स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा जोखिम प्रबन्धन निधि के लिए 15वाँ वित्त आयोग अनुदान

15वें वित्त आयोग ने राज्य सरकार को स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा जोखिम प्रबन्धन निधि के लिए सहायता अनुदान की अनुशंसा की थी। वर्ष 2020–24 के दौरान 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान और राज्य सरकार द्वारा अन्तरित अनुदान की धनराशि का विवरण **तालिका 2.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: 2020–24 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त वित्त आयोग अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुशंसायें			भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			राज्य सरकार द्वारा अन्तरित अनुदान		
	XV-वित्त आयोग	XV-वित्त आयोग	योग						
	2020-21 से 2022-23	2023-24		2020-21से 2022-23	2023-24	योग	2020-21 से 2022-23	2023-24	योग
स्थानीय निकाय (आधारभूत एवं निष्पादन अनुदान)									
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	24426	7547	**31973**	24426	5600.55	**30026.55**	24426	7547	**31973**
(ii) नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	11922	3888	**15810**	9577.07	4996.23	14573.30	9577.07	4996.23	**14573.30**
स्थानीय निकायों के लिये योग	**36348**	**11435**	**47783**	**34003.07**	**10596.78**	**44599.85**	**34003.07**	**12543.23**	**46546.30**
एसडीआरएमएफ*	5896	2132	**8028**	4881.00	2294.20	**7175.20**	4881	2294.20	**7175.20**
कुल योग	**42244**	**13567**	**55811**	**38884.07**	**12890.98**	**51775.05**	**38884.07**	**14837.43**	**53721.50**

स्रोत: 15वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

***** *राज्य आपदा जोखिम प्रबन्धन निधि (एसडीआरएमएफ)*

2023–24 की अवधि के दौरान, पंचायती राज संस्थाओं के लिए सहायता अनुदान के अन्तर्गत 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल ₹ 7,547.00 करोड़ के अनुदान के सापेक्ष, राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 5,600.55 करोड़ प्राप्त हुए। इसके सापेक्ष राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 7,547.00 करोड़ अवमुक्त किये। अग्रेतर, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 3,888 करोड़ के कुल अनुदान के सापेक्ष, राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 4,996.23 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान यूएलबी को पूरी राशि अवमुक्त कर दी।

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्ष 2023–24 की अवधि में ₹ 2,842 करोड़ (₹ 2,132 करोड़ केन्द्रांश तथा ₹ 710 करोड़ राज्यांश) एसडीआरएमएफ मे जमा किये जाने थे, जिसमें एसडीआरएफ और एसडीएमएफ के लिए अंशदान सम्मिलित था। इसके सापेक्ष भारत सरकार ने एसडीआरएमएफ के लिये ₹ 2,294.20 करोड़ अवमुक्त किया। एसडीआरएफ तथा एसडीएमएफ को अंशदान पर प्रतिवेदन के प्रस्तर 2.5.2.3 तथा 2.5.2.4 में पुनः चर्चा की गयी है।

2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियां

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियां यथा विनिवेश से प्राप्तियां, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों से उधार आदि) से ऋण प्राप्तियां और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संघटन की प्रवृत्तियाँ **तालिका 2.11** में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 2.11: वर्ष 2019–24 की अवधि में पूँजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पूँजीगत प्राप्तियां	**79450**	**87994**	**76690**	**68184**	**122488**
(i) विविध पूँजीगत प्राप्तियां	0	0	0	0	0
(ii) ऋण एवं अग्रिम की वसूली (गैर ऋण प्राप्तियां)	5641	1135	939	1337	1834
(iii) लोक ऋण प्राप्तियां, जिसमें से	**73809**	**86859**	**75751**	**66847**	**120654**
आन्तरिक ऋण	72554	78677	65003	58024	100900
आन्तरिक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	**42.85**	**8.44**	**(-)17.38**	**(-) 10.74**	**73.89**
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1255	8182*	10748*	8823	19754
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	**56.09**	**551.95**	**31.36**	**(-) 17.91**	**123.89**
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	43.05	17.68	(-)12.79	(-) 11.75	80.49
गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	**6.17**	**(-)79.88**	**(-)17.27**	**42.39**	**37.17**
जीएसडीपी की वृद्धि दर	7.45	(-)3.53	20.81	15.28	11.55
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	**39.61**	**10.75**	**(-)12.85**	**(-) 11.09**	**79.64**

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

** भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम की धनराशि में जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020–21 में ₹ 6,007 करोड़ तथा 2021–22 में ₹ 8,140 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है, सम्मिलित हैं।*

जैसा कि **तालिका 2.11** से स्पष्ट है कि वर्ष 2023–24 में राज्य की पूँजीगत प्राप्तियों में ₹ 54,304 करोड़ की वृद्धि हुई जो वर्ष 2022–23 की तुलना में 79.64 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है, यह विगत वर्ष की तुलना में आन्तरिक ऋण में 73.89 प्रतिशत एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 123.89 प्रतिशत की अधिक प्राप्ति के कारण थी। अवधि 2019–21 के दौरान आन्तरिक ऋण प्राप्तियों की उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति थी लेकिन वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 में अधोमुखी प्रवृत्ति थी तथा वर्ष 2023–24 मे इसमें वृद्धि हुई। भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों में 2019–24 की अवधि के दौरान उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति रही तथा 2023–24 के दौरान यह उच्चतम ₹ 19,754 करोड़ थी।

वर्ष 2023–24 के दौरान ऋण और अग्रिमों की वसूली (₹ 1,834 करोड़) में विगत वर्ष (₹ 1,337 करोड़) की तुलना में 37.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2019–20 के दौरान ऋण और अग्रिमों की उच्च वसूली मुख्य रूप से उदय योजना के अन्तर्गत पीएसयू को ₹ 4,891.72 करोड़ की राशि के ऋण को सहायता अनुदान में रूपान्तरण के कारण हुई थी।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन केन्द्रीय करों में राज्यांश और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान को सम्मिलित किये बिना स्वयं के कर राजस्व और करेतर राजस्व के सन्दर्भ में किया जाता है। वर्ष 2023–24 के दौरान,

राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्राप्ति मध्यावधि राजकोषीय पुनर्संरचना नीति (एमटीएफआरपी) 2023 के अनुमान से 26.46 प्रतिशत कम और 15वें वित्त आयोग द्वारा किए गए अनुमान से 28.28 प्रतिशत अधिक थी, जैसा कि **तालिका 2.12** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.12: वर्ष 2023–24 के दौरान अनुमान के सापेक्ष कर एवं करेतर प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष 2023–24 के लिये 15वें वित्त आयोग का अनुमान	बजट अनुमान/ एमटीएफआरपी 2023	वर्ष 2023–24 के लिये वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत विचलन	
				15वें वित्त आयोग का अनुमान	बजट अनुमान/ एमटीएफआरपी 2023
स्वयं के कर राजस्व	150558	262634	193129	28.28	(-)26.46
करेतर राजस्व	38825	23791	14249	(-)63.30	(-)40.11

स्रोत: 15वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, राज्य सरकार का बजट अभिलेख 2023–24 एवं वित्त लेखे 2023–24

वर्ष 2023–24 में राज्य का स्वयं का कर राजस्व बजट अनुमान/एमटीएफआरपी 2023 में किए गए अनुमान की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम था। यह मुख्य रूप से एमटीएफआरपी 2023 के अनुमानों की तुलना में एसजीएसटी में ₹ 33,065 करोड़, राज्य आबकारी में ₹ 12,429 करोड़ और बिक्री, व्यापार आदि पर कर में ₹ 10,662 करोड़, स्टाम्प और निबन्धन शुल्क में ₹ 7,599 करोड के कम संग्रह के कारण था। तथापि, स्वयं के कर राजस्व जुटाने में राज्य का प्रदर्शन 15वें वित्त आयोग के अनुमानों से अच्छा था।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों की संरचना के अन्तर्गत व्यय करने का उत्तरदायित्व निहित है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया पूँजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किये गये व्यय की लागत पर नहीं हो। यह प्रस्तर उप–प्रस्तरों सहित राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण करता है।

संचित निधि के अन्तर्गत व्यय विशिष्ट कार्यों या सेवाओं के अनुरूप क्षेत्रों जैसे 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायता अनुदान और अंशदान', 'लोक ऋण' और 'ऋण एवं अग्रिम' में वर्गीकृत किये जाते हैं। राज्य के समेकित निधि के अन्तर्गत श्रेणीवार व्यय की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.7** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.7: वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान में क्षेत्रवार व्यय की प्रतिशतता

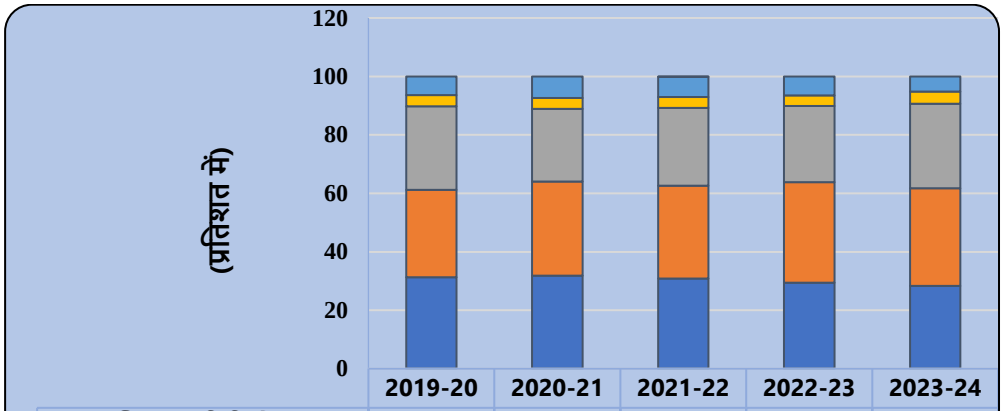

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आकस्मिकता निधि हेतु विनियोग	0	0	0.15	0	0
ऋण एवं अग्रिम और लोक ऋण	6.4	7.38	6.90	6.5	5.16
सहायता अनुदान	3.78	3.75	3.75	3.56	4.16
आर्थिक सेवाएँ	28.64	24.79	26.61	26.07	28.88
सामाजिक सेवाएँ	29.83	32.24	31.72	34.39	33.43
सामान्य सेवाएँ	31.35	31.84	30.88	29.48	28.37

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि **चार्ट 2.7** से स्पष्ट है, 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 में आर्थिक सेवाओं तथा सहायता अनुदान पर व्यय का अंश बढ़ा था, जबकि व्यय के अन्य क्षेत्रों में राज्य की समेकित निधि से कुल व्यय में उनके सम्बन्धित अंश में कमी देखी गयी। वर्ष 2023–24 की अवधि के दौरान राज्य की संचित निधि से घटकवार व्यय **चार्ट 2.8** मे दर्शाया गया है।

चार्ट 2.8: वर्ष 2023–24 की अवधि के दौरान घटकवार व्यय

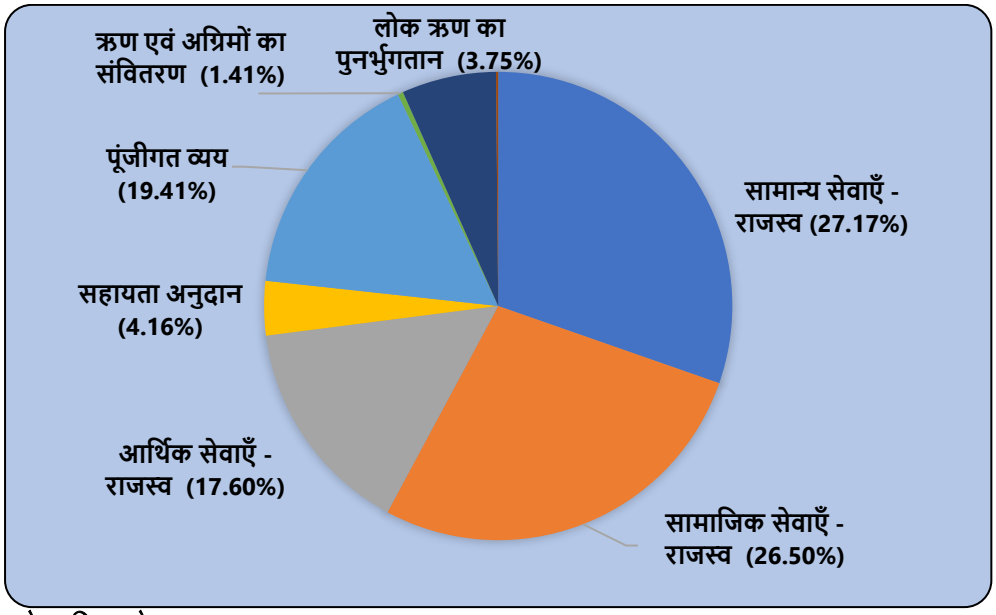

स्रोत: वित्त लेखा 2023–24

चार्ट 2.8 प्रस्तुत करता है कि वर्ष 2023–24 के दौरान, सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत राजस्व व्यय सबसे अधिक था, जो कुल व्यय का 27.17 प्रतिशत था, जिसमें राज्य

के अंगों, वित्तीय सेवाओं, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक सेवाओं और पेंशन पर व्यय सम्मिलित है। सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय कुल व्यय का 26.50 प्रतिशत था, जिसमें शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, समाज कल्याण एवं पुष्टाहार, जल आपूर्ति और स्वच्छता, शहरी विकास आदि पर व्यय सम्मिलित है। आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 17.60 प्रतिशत था जिसमें कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों, ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण, ऊर्जा, उद्योग और खनिज, परिवहन आदि पर व्यय सम्मिलित है।

व्यय की वृद्धि और संघटन

वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान राज्य की संचित निधि से व्यय तथा इसका संघटन **तालिका 2.13** में संक्षेपित किया गया है और **चार्ट 2.9** में भी दर्शाया गया है।

तालिका 2.13: वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान कुल व्यय एवं इसका संघटन

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय	360951	351933	411237	483215	548358
राजस्व व्यय	298833	298543	337581	379978	429788
पूँजीगत व्यय	59998	52237	71443	93028	110555
ऋण और अग्रिम	2120	1153	1613	10209	8015
आकस्मिकता निधि में विनियोग	0	0	600	0	0
जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/जीएसडीपी	21.23	21.46	20.76	21.16	21.52
राजस्व व्यय/जीएसडीपी	17.58	18.20	17.04	16.64	16.87
पूँजीगत व्यय/जीएसडीपी	3.53	3.18	3.61	4.07	4.34
ऋण तथा अग्रिम/जीएसडीपी	0.12	0.07	0.08	0.45	0.31

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.9: 2019–24 की अवधि के दौरान घटकवार व्यय की प्रवृत्तियाँ

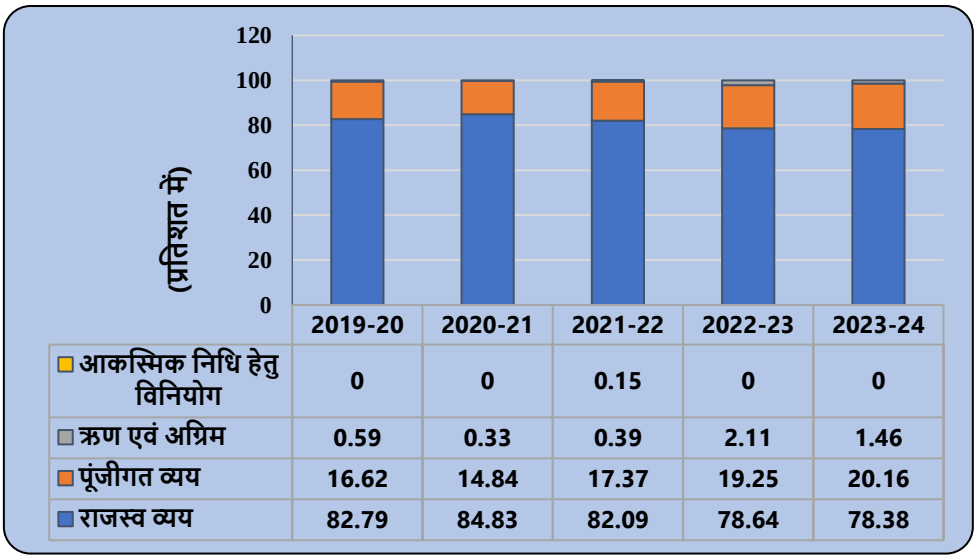

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2019–24 की अवधि के दौरान, राज्य का कुल व्यय 2019–20 में ₹ 3,60,951 करोड़ से 51.92 प्रतिशत बढ़कर 2023–24 में ₹ 5,48,358 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से राजस्व व्यय में ₹ 1,30,955 करोड़, पूँजीगत व्यय में ₹ 50,557 करोड़ और ऋण और अग्रिमों के संवितरण में ₹ 5,895 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई थी। वर्ष 2023–24 की अवधि के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का 78.38 प्रतिशत और पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 20.16 प्रतिशत था । इस प्रकार, कुल व्यय में राजस्व व्यय प्रमुख अंश था।

2.4.1 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और विगत दायित्वों के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की अवसंरचना और सेवा तन्त्र में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय में मजदूरी और वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, पूँजीगत कार्यों के संचालन और रखरखाव पर व्यय, स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों, गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य को सब्सिडी एवं अन्तरण सम्मिलित हैं। राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड **तालिका 2.14** में दिए गए हैं।

तालिका 2.14: वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय के मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय (टीई)	360951	351933	411237	483215	548358
राजस्व व्यय (आरई)	298833	298543	337581	379978	429788
आरई की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)0.96	(-)0.10	13.08	12.56	13.11
टीई के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	82.79	84.83	82.09	78.64	78.38
जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	1700062	1640097	1981367	2284104	2547861
आरई/जीएसडीपी (प्रतिशत)	17.58	18.20	17.04	16.64	16.87
राजस्व प्राप्ति	366393	296176	371011	417241	465801
राजस्व व्यय के रुप में राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत)	81.56	100.80	90.99	91.07	92.27

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा। तथापि, इसका अंश 82.79 प्रतिशत (2019–20) से घटकर 78.38 प्रतिशत (2023–24) हो गया। राजस्व व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 में ऋणात्मक रही एवं वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक 13.11 प्रतिशत रही। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 2019–24 की अवधि के दौरान उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गयी। यह वर्ष 2020–21 में उच्चतम (18.15 प्रतिशत) और वर्ष 2022–23 में निम्नतम (16.64 प्रतिशत) था। राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष राजस्व व्यय वर्ष 2022–23 में 91.07 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 92.27 प्रतिशत हो गया।

राजस्व व्यय वर्ष 2019–20 में ₹ 2,98,833 करोड़ से ₹ 1,30,955 करोड़ (44 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹ 4,29,788 करोड़ हो गया। वर्ष 2023–24 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से शहरी विकास में ₹ 8,758.20 करोड़, स्थानीय निकायों

और पंचायती राज संस्थानों को प्रतिपूर्ति और असाइनमेंट में ₹ 5,713.05 करोड़, ऊर्जा में ₹ 5,040.53 करोड़, सड़क एवं सेतु में ₹ 4,714.98 करोड़, उद्योग में ₹ 4,680.14 करोड की वृद्धि जिसे मुख्य रुप से समाज कल्याण में ₹ 4,058.85, नागरिक आपूर्ति में ₹ 1,299.27 करोड़ तथा ऋण में कमी या परिहार के लिए ₹ 1,000.00 तथा लोक निर्माण में ₹ 667 करोड़ के कम व्यय से प्रति–संतुलित हुई थी।

वर्ष 2023–24 में सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं साथ ही आर्थिक सेवाओं के घटक पर राजस्व व्यय को **चार्ट 2.10** मे प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 2.10: वर्ष 2023–24 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

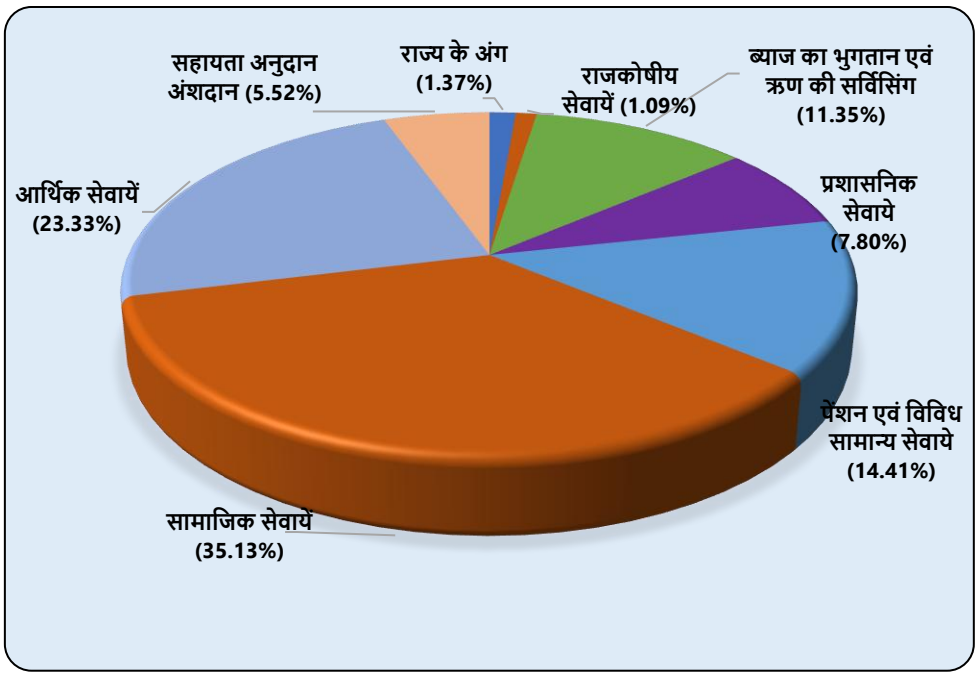

स्रोत: वर्ष 2023–24 के वित्त लेखे

2.4.1.1 प्रतिबद्ध और गैर–प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के व्यय को प्रतिबद्ध और गैर–प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान और ब्याज भुगतान पर व्यय सम्मिलित है। यह सरकार के संसाधनों पर सर्वप्रथम भारित है।

प्रतिबद्ध व्यय से इतर अनम्य व्यय की कुछ मदें हैं जिन्हें साधारण तौर पर बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है या जो पूँजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनशील लेनदेन के विपरीत वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं। निम्नलिखित मदों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है:

- स्थानीय निकायों को हस्तांतरण – वेतन एवं भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण (व्यय के लिए हस्तांतरण)

- आरक्षित निधियों में योगदान की वैधानिक आवश्यकताएं–समेकित निक्षेप निधि (सीएसएफ), प्रत्याभूति विमोचन निधि (जीआरएफ), राज्य आपदा अनुक्रिया/शमन निधि (एसडीएमएफ/एसडीआरएफ) आदि में योगदान
- आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति – वर्ष के अंदर प्रतिपूर्ति की गई राशि
- उपकर को आरक्षित निधि/अन्य निकाय में हस्तांतरित करना, जो वैधानिक रूप से आवश्यक है
- प्राप्त केन्द्रीय निधि के सापेक्ष केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का राज्यांश
- ब्याज वाली निधियों की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान, जैसे कि यदि उन्हें निवेश किया जाता और लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान–भारित व्यय–ब्याज भुगतान।

प्रतिबद्ध व्यय से इतर अन्य व्यय को गैर–प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2019–24 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध और गैर–प्रतिबद्ध व्यय के अंश की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.11** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.11: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध एवं गैर प्रतिबद्ध व्यय का अंश

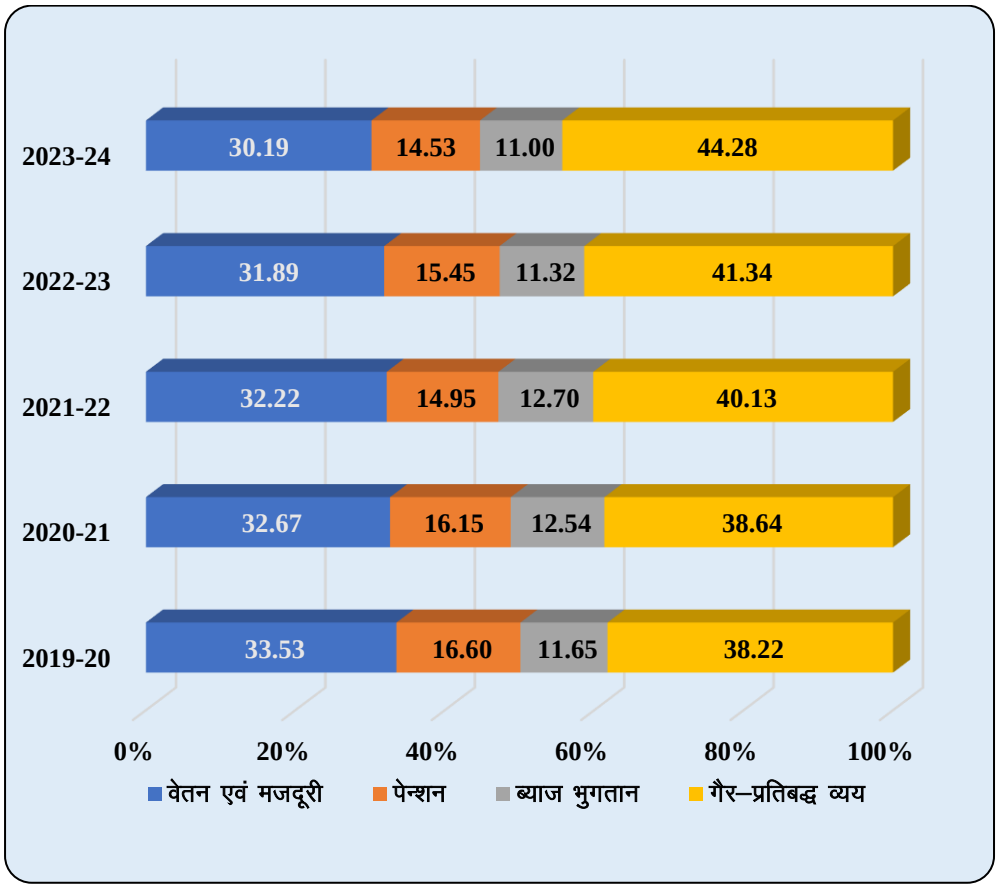

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2019–24 की अवधि के दौरान घटकवार प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय की प्रवृत्तियों का विश्लेषण **तालिका 2.15** में दिया गया है।

तालिका 2.15 : 2019–24 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध एवं अनम्य व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वेतन एवं मजदूरी	100188	97540	108775	121188	129753
(i) वेतन	53508	50333	54727	60061	64804
(ii) मजदूरी	1357	2363	2500	2719	2955
(iii) सहायता अनुदान (वेतन)	45323	44844	51548	58408	61994
पेंशन पर व्यय	49603	48219	50475	58697	62457
ब्याज भुगतान	34813	37428	42876	43008	47277
प्रतिबद्ध व्यय का योग	**184604**	**183187**	**202126**	**222893**	**239487**
अनम्य व्यय के घटक	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
स्थानीय निकाय को वैधानिक हस्तांतरण	14500	14208	16500	18000	23713
आरक्षित निधि को अंशदान	6199	5431	8950	8674	11912
आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति	662	0	700	0	397
प्राप्त केन्द्रीय निधि के सापेक्ष सीएसएस का अंशदान	17020	22161	22366	30056	29736
बीओसीडब्लू को उपकर का हस्तांतरण	9.96	10	9.77	40.10	40.23
योग	**38390.96**	**41810**	**48525.77**	**56770.10**	**65798.23**
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में					
प्रतिबद्ध व्यय					
वेतन एवं मजदूरी	*27.34*	*32.93*	*29.32*	29.05	*27.86*
पेंशन पर व्यय	*13.54*	*16.28*	*13.60*	14.07	*13.41*
ब्याज भुगतान	*9.50*	*12.64*	*11.56*	10.31	*10.15*
योग	***50.38***	***61.85***	***54.48***	**53.43**	**51.42**
अनम्य व्यय	**10.48**	**14.12**	**13.08**	**13.61**	**14.13**
महायोग	**60.86**	**75.97**	**67.56**	**67.04**	**65.55**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	*33.53*	*32.67*	*32.22*	31.89	*30.19*
पेंशन पर भुगतान	*16.60*	*16.15*	*14.95*	15.45	*14.53*
ब्याज भुगतान	*11.65*	*12.54*	*12.70*	11.32	*11.00*
योग	***61.78***	***61.36***	***59.87***	**58.66**	***55.72***
अनम्य व्यय	**12.85**	**14.00**	**14.37**	**14.94**	**15.31**
महायोग	**74.63**	**75.37**	**74.24**	**73.60**	**71.03**
गैर प्रतिबद्ध राजस्व व्यय*	114229	115320	135455	157085	190314
राजस्व व्यय का प्रतिशत	38.23	38.63	40.13	41.34	44.28
कुल व्यय का प्रतिशत	31.65	32.77	32.94	32.51	34.70

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

*** प्रतिबद्ध व्यय को छोड़कर कुल राजस्व व्यय***

प्रतिबद्ध व्यय, व्यय की प्राथमिकता तय करने और सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी निवेश को पूरा करने में राज्य को प्रभावित करता है। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय का उच्च अनुपात

यह इंगित करता है कि राज्य के पास नई योजनाओं के लिए अपने संसाधनों के आवंटन में सीमित लचीलापन है। **तालिका 2.15** से स्पष्ट है कि वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी गयी, सिवाय वर्ष 2020–21 के जिसमें थोड़ी कमी आयी। प्रतिबद्ध व्यय के घटक–वार विवरण पर नीचे चर्चा की गई है।

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

राज्य सरकार में 31 मार्च 2023 को 13,20,850 स्वीकृत पद थे। वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन पर व्यय ₹ 64,804 करोड़ था। यह राजस्व प्राप्तियों (₹ 4,65,801 करोड़) का 13.91 प्रतिशत और राजस्व व्यय (₹ 4,29,788 करोड़) का 15.08 प्रतिशत था। तथापि, मानक मद 'सहायक अनुदान–सामान्य (वेतन)', 'संशोधित वेतन का बकाया (राज्य सहायता)'[7] और 'मजदूरी' के व्यय को सम्मिलित करते हुए वेतन मद पर कुल व्यय ₹ 1,29,753 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का 27.86 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 30.19 प्रतिशत था।

वर्ष 2023–24 में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में विगत वर्ष 2022–23 की तुलना में 7.07 प्रतिशत (₹ 8,565 करोड़) की वृद्धि हुई, जो कि मुख्य रूप से मंहगाई भत्ता (₹ 3,337 करोड़) और सहायक अनुदान–सामान्य (वेतन) (₹ 3,572 करोड़) पर अधिक संवितरण के कारण थी।

ब्याज भुगतान

राज्य सरकार द्वारा आन्तरिक ऋण, लघु बचत, भविष्य निधि, केन्द्र सरकार के ऋण और अग्रिमों आदि पर ब्याज भुगतान को मुख्य शीर्ष 2049–ब्याज भुगतान के अन्तर्गत लेखांकित किया जाता है। वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान, ब्याज के भुगतान पर व्यय 7.95 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ ₹ 34,813 करोड़ से बढ़कर ₹ 47,277 करोड़ हो गया। वर्ष 2022–23 की तुलना में, वर्ष 2023–24 में ब्याज भुगतान में 9.93 प्रतिशत की वृद्धि, मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा आंतरिक ऋण पर ₹ 3,091 करोड़ अधिक ब्याज भुगतान के कारण हुई।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अन्तर्गत, लेखाशीर्ष '2071–01–117–विलम्ब से जमा ग्राहक अंशदान पर ब्याज का भुगतान' के अन्तर्गत ₹ 28.49 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया। संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्ष की सूची (एलएमएमएच) के अनुसार, डीसीपीएस पर ब्याज 2049–03–117 शीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाना चाहिए। मुख्य शीर्ष 2071 के अन्तर्गत डीसीपीएस पर बजट का प्रावधान और ब्याज का भुगतान एलएमएमएच का उल्लंघन था, जिसके कारण मुख्य शीर्ष 2049 के अन्तर्गत ब्याज पर व्यय को कम दर्शाया गया था।

पेंशन भुगतान

राज्य में दिनाँक 31 मार्च 2023 को 11,49,223 पेंशनभोगी थे। 2019–24 की अवधि के दौरान पेंशन भुगतान पर वार्षिक व्यय ₹ 49,603 करोड़ एवं ₹ 62,457 करोड़ के

[7] प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं, स्वायत्त निकायों इत्यादि के कर्मचारियों से सम्बन्धित।

मध्य विस्तारित था। वर्ष 2023–24 में, पेंशन पर व्यय धनराशि ₹ 62,457 करोड़ था, जो कि विगत वर्ष (₹ 58,697 करोड़) के सापेक्ष 6.40 प्रतिशत अधिक था। यह अधिकता मुख्य रूप से अधिवार्षिकी व सेवानिवृत्ति भत्ते में (₹ 1,470.81 करोड़), राज्य सहायतित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के पेंशन में (₹ 1,405.37 करोड़) तथा डीसीपीएस के लिये शासकीय अभिदान में (₹ 1,981.75 करोड़) तथा पारिवारिक पेंशन (₹ 441.49 करोड़) में वृद्धि के कारण थी। वर्ष 2023–24 में पेंशन पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों का 13.41 प्रतिशत तथा कुल राजस्व व्यय का 14.53 प्रतिशत था।

अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के घटक, जिसमें स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण और आरक्षित निधि में योगदान सम्मिलित है, में वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 की अवधि के दौरान निरन्तर वृद्धि देखी गई। वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय 10.48 प्रतिशत से 14.13 प्रतिशत के मध्य था और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय 12.85 प्रतिशत से 15.31 प्रतिशत के मध्य था।

2.4.1.2 सब्सिडी

राज्य सरकार कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभागों, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान प्रदान करती है, जिसका विस्तृत विवरण वित्त लेखे के **परिशिष्ट– II** में दिया गया है। 2019–24 की अवधि के दौरान प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण **तालिका 2.16** में दिया गया है।

तालिका 2.16:वर्ष 2019–24 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सब्सिडी (₹ करोड़ में) जिसमे सम्मिलित हैं	14092	11677	20145	21267	24736
ऊर्जा सब्सिडी (₹ करोड़ में)	8920	6057	13388	14361	15175
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.85	3.94	5.43	5.10	5.31
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	4.72	3.91	5.97	5.60	5.76
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.90	3.32	4.90	4.40	4.51
कुल सब्सिडी के प्रतिशत के रूप में ऊर्जा सब्सिडी	63.30	51.87	66.46	67.53	61.35

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान सब्सिडी पर व्यय उतार चढ़ाव भरा रहा। यद्यपि, यह वर्ष 2019–20 में ₹ 14,092 करोड़ से घटकर वर्ष 2020–21 में ₹ 11,677 करोड़ हो गया, यह पुनः वर्ष 2020–21 से 2023–24 में बढ़ गया। सब्सिडी वर्ष 2023–24 में सर्वाधिक ₹ 24,736 करोड़ थी। वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 24,736 करोड़ की सब्सिडी राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का क्रमशः 5.31 प्रतिशत और 5.76 प्रतिशत थी। इसमें केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत

₹ 2,410.46 करोड़ की केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है। विगत वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान सब्सिडी में सकल वृद्धि (₹ 3,469 करोड़) मुख्य रूप से 'यूपीपीसीएल को प्रतिपूरक अनुदान' के अतंर्गत ₹ 1,863.62 करोड, 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना' ₹ 663.85 करोड़, 'पावरलूम बुनकरो को बिजली दर मे छूट की प्रतिपूर्ति' पर ₹ 1,095.03 करोड की अधिक सब्सिडी तथा 'समाज कल्याण विभाग' (जनजातीय कल्याण) ₹ 395.83 करोड़ की कम सब्सिडी से प्रतिसंतुलित थी।

2.4.1.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता, अनुदान और ऋण के रूप में प्रदान की जाती है। 2019–24 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता की मात्रा **तालिका 2.17** में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.17: 2019–24 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
(क) स्थानीय निकाय					
शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम एवं नगर पालिकाएं)	9059.97	15115.15	13610.89	9802.01	15369.54
पंचायती राज संस्थाएं (जिला परिषद एवं ग्राम पंचायतें)	12517.71	10412.00	7635.03	8109.70	9288.65
योग (क)	**21577.68**	**25527.15**	**21245.92**	**17911.71**	**24658.19**
(ख)सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम(सरकारी कंपनियां और सांविधिक निगम)	8940.17	7018.39	7391.59	10054.20	15590.59
(ग)स्वायत्त निकाय(विश्वविद्यालय, विकास प्राधिकरण, सहकारी संस्थाएं एवं अन्य)	37393.78	35251.87	44342.71	48527.42	52043.29
(घ)गैर–सरकारी संगठन	7140.75	7040.51	7924.10	9340.91	10026.67
(च)विविध	18282.08	24050.46	19941.12	35527.75	37982.79
योग(ख +ग+घ+च)	**71756.78**	**73361.23**	**79599.52**	**103450.28**	**115643.34**
महायोग(क+ख+ग+घ+च)	**93334.46**	**98888.38**	**100845.44**	**121361.99**	**140301.53**
वेतन पर सहायता अनुदान	45322.82	44879.90	51548.28	58408.46	61994.32
पूँजीगत परिसम्पत्ति निर्माण पर सहायता अनुदान	6821.79	11208.64	12028.65	10955.37	15438.94
गैर–वेतन पर सहायता अनुदान	41189.87	42799.84	37268.51	51998.17	62868.25
वस्तु के रुप मे सहायता अनुदान	राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई				
पिछले वर्ष की तुलना में सहायता अनुदान की वृद्धि दर	1.71	5.95	1.98	20.34	15.61

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व व्यय	**298833**	**298543**	**337581**	**379978**	**429788**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	31.23	33.12	29.87	31.94	32.64

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य अनुदानग्राही संस्थाओं को सहायता अनुदान के माध्यम से ₹ 1,40,301.53 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। इसमें सम्मिलित हैं : शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (₹ 15,369.54 करोड़), पंचायती राज संस्थाओं (₹ 9,288.65 करोड़), सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (₹ 15,590.59 करोड़), स्वायत्त निकाय (₹ 52,043.29 करोड़), गैर सरकार संगठन (₹ 10,026.67 करोड़), और विविध (₹ 37,982.79 करोड़) जिसमें मुख्यतः केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओ के अन्तर्गत अवमुक्त सहायता अनुदान के सापेक्ष संगत राज्यांश (₹ 9,439.80 करोड़), शासकीय विभागों के बकाया बिजली के बिलों का भुगतान (₹ 3,000 करोड़), ऋण का मूलधन एवं ब्याज भुगतान के लिये उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए) को सहायता (₹ 2,922.21 करोड़), अंधे, मूक, बधिर और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिये भरण पोषण के लिये अनुदान (₹ 1,241.08 करोड़), निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण और उनके बच्चों की शिक्षा के लिये अनुदान (₹ 3,863.79 करोड़), नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को निःशुल्क जल की सुविधा (₹ 1,047.55 करोड़), वृद्धावस्था/किसान पेंशन (₹ 4,929.22 करोड़) इत्यादि सम्मिलित हैं ।

वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य अनुदानग्राही संस्थाओं को सहायता अनुदान वर्ष 2022–23 की तुलना में 15.61 प्रतिशत (₹ 18,940 करोड़) अधिक था। वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान इसमें ₹ 46,967.07 करोड़ (50.32 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अग्रेतर, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में यह वर्ष 2019–20 में 31.23 से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 32.64 प्रतिशत हो गया।

पंचायती राज संस्थाओं को सहायता वर्ष 2019–20 में ₹ 12,517.71 करोड़ से घटकर वर्ष 2023–24 में ₹ 9,288.65 करोड़ हो गयी। वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा पीआरआई को अवमुक्त सहायता अनुदान, 15वें वित्त आयोग के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के अन्तर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये (₹ 7,547 करोड़) एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता (₹ 1,741.65 करोड़) का हस्तांतरण था। वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान 15वें वित्त आयोग के अनुदान के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को अवमुक्त सहायता अनुदान में ₹ 81 करोड़ और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के सापेक्ष ₹ 1,097.96 करोड़ की वृद्धि हुई।

नगरीय स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता 2019–20 में ₹ 9,059.94 करोड़ से बढ़कर 2020–21 में ₹ 15,115.15 करोड़ हो गई। तथापि, यह वर्ष 2022–23 मे घट कर ₹ 9,802.01 करोड हो गई और पुनः 2023–24 में ₹ 15,369.54 करोड़ हो गई। वर्ष 2022–23 की तुलना मे वर्ष 2023–24 के दौरान यूएलबी को सहायता अनुदान

में ₹ 5,567.53 करोड़ (57 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। यह अधिकता प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ₹ 2,640.39 करोड़, वित्त आयोग अनुदान में ₹ 1,518.42 करोड़ थी। यूएलबी को दी गई सहायता अनुदान में पूँजीगत सम्पत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान ₹ 10,141.27 करोड़ सम्मिलित थी।

2.4.1.4 स्थानीय निकायों को राजकोषीय हस्तान्तरण पर राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की अनुपालना

संविधान का अनुच्छेद 243 आई (अनुच्छेद 243 वाई के साथ पठित) यह प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार के लिये पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों (यूएलबी) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिये प्रत्येक पाँचवे वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन करना अनिवार्य है और अन्य बातों के साथ राज्य द्वारा लगाये जाने वाले करों, शुल्कों, टोल्स एवं फीस की निवल आय को राज्य एवं पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य वितरण की अनुशंसा करता है।

राज्य सरकार ने दिसम्बर 2011 और अक्टूबर 2015 में क्रमशः चौथा एवं पाँचवां एसएफसी गठित किया था और इनकी रिपोर्ट दिसम्बर 2014 और अक्टूबर 2018 में राज्यपाल को प्रस्तुत की गयी तथा उनकी अनुशंसा क्रमशः अप्रैल 2015 और अप्रैल 2020 में लागू की गयी थी। वर्ष 2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान यूएलबी एवं पीआरआई को एसएफसी अनुदान का हस्तांतरण **तालिका 2.18** में दिया गया है।

तालिका 2.18: 2019–24 के दौरान पीआरआई एवं यूएलबी को निधि का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चौथा एसएफसी हस्तांतरण			पांचवा एसएफसी हस्तांतरण	
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
यूएलबी	8700.00	8525.00	9900.00	10800.00	14239.28
पीआरआई	5800.00	5683.37	6600.00	7200.00	9473.78
योग	**14500.00**	**14208.37**	**16500.00**	**18000.00**	**23713.06**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे ।

वर्ष 2019–24 के दौरान यूएलबी एवं पीआरआई को एसएफसी अनुदान का हस्तांतरण यद्यपि वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष वर्ष 2020–21 में कुछ घटा, किन्तु वर्ष 2021–22 से 2023–24 इसमे लगातार वृद्धि हुई। 2022–23 की तुलना में 2023–24 के दौरान स्थानीय निकायों के हस्तांतरण में 31.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.4.2 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों, आदि जैसी अचल अवसंरचना सम्पत्तियों के सृजन पर होने वाला व्यय है। राज्य सरकार को अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने, उधार ली गई निधि की लागत वसूल करने और वित्तीय संक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के उपाय हेतु पहल करने की आवश्यकता है। 2019–24 की अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय और कुल व्यय के सापेक्ष इसके प्रतिशत को **चार्ट 2.12** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.12: 2019–24 की अवधि के दौरान राज्य में पूँजीगत व्यय

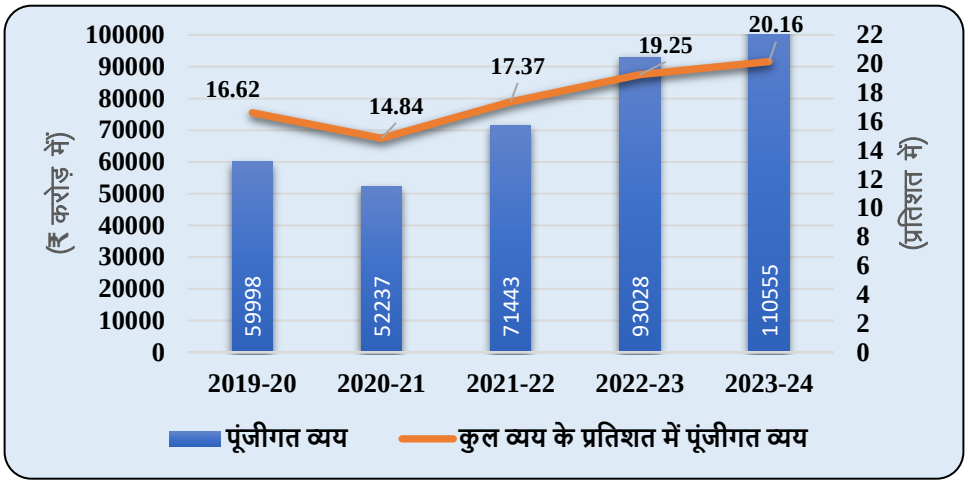

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.12 से स्पष्ट है कि 2019–24 की अवधि के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय 14.84 प्रतिशत और 20.16 प्रतिशत के बीच रहा और यह वर्ष 2020–21 में न्यूनतम एवं वर्ष 2023–24 में उच्चतम था। कुछ मुख्य शीर्ष जहाँ वर्ष 2023–24 के दौरान पूँजीगत व्यय महत्वपूर्ण रूप से अधिक था, को **तालिका 2.19** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: वर्ष 2023–24 के दौरान मुख्य शीर्षवार पूँजीगत व्यय

क्रम संख्या	प्रमुख शीर्ष और उसका नाम	प्रमुख गतिविधि/योजना	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	4215–जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	जलजीवन मिशन (₹ 12907.94 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (₹ 5746.01 करोड़)	18815.80
2	4801–ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को अंशपूँजी (₹ 3331.17 करोड़), ग्रीष्म काल में राज्य में बिजली की निर्बाध आपूर्ति (₹ 1500 करोड़), केन्द्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश (₹ 2402 करोड़)	15974.99
3	5054–सड़क एवं सेतु पर पूँजीगत परिव्यय	ग्रामीण सड़कों का निर्माण (₹ 3502 करोड़), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 2621.35 करोड़), रेल उपरिगामी सेतु (₹ 1416.05 करोड़), राज्य राज मार्ग का निर्माण (₹ 1704.69 करोड़), राज्य सड़क निधि मे हस्तांतरण (₹ 2500 करोड़)	25994.74
4	4216– आवास पर पूँजीगत परिव्यय	पीएम आवास योजना–ग्रामीण (₹ 2241.29 करोड़), केन्द्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश (₹ 1494.19 करोड़), मुख्य मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (₹ 1156.48करोड़)	5737.80

क्रम संख्या	प्रमुख शीर्ष और उसका नाम	प्रमुख गतिविधि/योजना	धनराशि (₹ करोड़ में)
5	4515– अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	राष्ट्रीय ग्रामीण सुनिश्चित रोजगार योजना (₹ 2769.17 करोड़), विधायकों की अनुशंसा के अनुसार विकास कार्य (₹ 2515.38 करोड़), केन्द्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश (₹ 805.40 करोड़)	6249.33
6	4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	मुख्य मंत्री शहरी विस्तार /नये शहरों का संवर्धन (₹ 2080 करोड़), दिल्ली–गाजियाबाद– मेरठ कॉरिडोर क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना (₹ 1356 करोड़)	4463.97
7	4202–शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	प्रारम्भिक शिक्षा–केन्द्र प्रायोजित योजना (₹ 641.97 करोड़), प्रारंभिक शिक्षा–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के सापेक्ष राज्यांश (₹ 561.88 करोड़), अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना (₹ 145.11 करोड़), शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये भूमि का क्रय/ भवन का निर्माण (₹ 419.59 करोड़)	4027.89
8	5053– नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	हवाई पट्टियों का निर्माण, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण और भूमि का अधिग्रहण (₹ 1066.49 करोड़), जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना (₹ 505.96 करोड़)	1650.27

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

वर्ष 2023–24 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 1,10,555.39 करोड़ था। वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान इसमें ₹ 17,527 करोड़ (18.84 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वृद्धि सामान्य सेवा क्षेत्र में ₹ 2,383.47 करोड़ (53.57 प्रतिशत) मुख्यतः पुलिस एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं में, सामाजिक सेवा क्षेत्र में ₹ 4,398.27 करोड़ (12.55 प्रतिशत) मुख्यतः जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सामान्य शिक्षा, शहरी विकास एवं आर्थिक सेवा क्षेत्र में ₹ 10,745.25 करोड़ (20.07 प्रतिशत) मुख्यतः ऊर्जा सड़क एवं सेतु, पर्यटन तथा खाद्य भण्डारन एवं भण्डारगृह के अन्तर्गत हुई थी।

2.4.2.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्ष 2022–23 की तुलना में वर्ष 2023–24 में विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत पूँजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तनों का विवरण **तालिका 2.20** में दिया गया है।

तालिका 2.20 : विभिन्न मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत 2023–24 के दौरान पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखाशीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि (+)/ कमी (-) (प्रतिशत)
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	645.97	2533.35	1887.38 (292)
4801- ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	10220.50	15974.99	5754.49 (56)
4215- जल आपूर्ति तथा स्वछता पर पूँजीगत परिव्यय	12227.32	18815.81	6588.49 (54)
5054- सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय	22424.78	25994.74	3569.96 (16)
4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	8984.05	5737.80	(-)3246.25 (36)
4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	7211.41	6249.33	(-)962.08 (13)
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	3789.20	3351.18	(-)438.02 (12)
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	693.52	255.73	(-)437.79 (63)

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत वृद्धि/कमी का प्रमुख कारण नीचे दिया गया है:

मुख्य शीर्ष 4070 (अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय): वृद्धि मुख्य रूप से महाकुंभ मेला, 2025, प्रयागराज योजना (₹ 1,577.44 करोड) तथा जेलों के निर्माण (₹ 290.86 करोड) पर व्यय के कारण हुई।

मुख्य शीर्ष 4801 (ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय): यह वृद्धि मुख्यतः केन्द्र प्रायोजित योजना का संगत राज्यांश (₹ 1,980.03 करोड), उदय योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए नियुक्त किये जाने वाले सलाहकार को भुगतान (₹ 1,500 करोड), पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना (₹ 1,275 करोड़) तथा राज्य के नगर निगम क्षेत्रों के वितरण प्रणाली को सुदृढ करने (₹ 1,028.86 करोड) में वृद्धि के कारण है।

मुख्य शीर्ष 5054 (सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय): यह वृद्धि मुख्यतः रेल उपरिगामी सेतुओं (₹ 855.83 करोड), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस. वाई) (₹ 684.70 करोड़), आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) द्वारा वित्त पोषित स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था (₹ 420.65 करोड़) तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अनुरूप राज्यांश (₹ 601.09 करोड़) पर अधिक व्यय के कारण थी।

मुख्य शीर्ष 4215 (जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय): वृद्धि मुख्य रूप से ग्रामीण जलापूर्ति के अंतर्गत जल जीवन मिशन (₹ 4,789.38 करोड़) तथा अनुसूचित

जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत केंद्रीय योजना/केंद्र प्रायोजित योजनाओं (₹ 1,783.23 करोड) में वृद्धि के कारण है।

मुख्य शीर्ष 4202 (शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय): इसका मुख्य कारण राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (जिला योजना) के अन्तर्गत भवन निर्माण, भूमि/भवन के क्रय और विद्युतीकरण, विस्तार, (₹ 320.76 करोड), केंद्र प्रायोजित योजनाओं में संगत राज्यांश (₹ 281.29 करोड), केंद्रीय योजना/केंद्र प्रायोजित योजनाओं (₹ 272.32 करोड़) तथा जनपद प्रयागराज में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना (₹ 157.45 करोड़) पर व्यय में वृद्धि है।

मुख्य शीर्ष 4216 (आवास पर पूँजीगत परिव्यय): कमी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पर व्यय में कमी (₹ 2,529.07 करोड) तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश (₹ 1,686.04 करोड़) के कम व्यय के कारण हुई।

मुख्य शीर्ष 4515 (अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय): कमी मुख्य रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 1,455.83 करोड़) तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश (₹ 495.06 करोड) तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं (₹ 102.05 करोड़) में कम व्यय के कारण हुई।

मुख्य शीर्ष 4210 (चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय): कमी मुख्य रूप से उप–शीर्षक एलोपैथी–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (₹ 705.88 करोड), केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में संगत राज्यांश (₹ 426.43 करोड), में कम व्यय के कारण हुई।

मुख्य शीर्ष 4225 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय): कमी मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजनाओं (₹ 561.76 करोड़) पर व्यय में कमी के कारण हुई।

2.4.2.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खण्ड राज्य सरकार द्वारा किए गये पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

(i) पीएसयूज में निवेश की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्यम जो घाटे में चल रहे हैं या जहाँ निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, में किया गया निवेश और दिया गया ऋण तथा पूँजीगत व्यय धारणीय नहीं है और पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

कम्पनियों, निगमों और सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों में निवेश पर प्रतिफल की प्रवृत्तियॉ सरकारी उधार की लागत और निवेश पर प्रतिफल के मध्य अन्तर को **तालिका 2.21** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.21 : निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	निवेश/प्रतिफल/ उधार की लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	वर्ष के अन्त मे निवेश[8]	127630	139495	151521	164001	184667
2	प्रतिफल	39.04	104.83	212.58	141.32	49.66
3	प्रतिफल (प्रतिशत)	0.03	0.08	0.14	0.09	0.03
4	सरकार की उधारियों एवं दायित्वों पर औसत ब्याज दर[9](प्रतिशत)	7.69	7.36	7.72	7.25	7.24
5	ब्याज दर एवं प्रतिफल के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	(-)7.66	(-)7.28	(-)7.58	(-)7.16	(-)7.21
6	सरकारी उधारियों एवं निवेश पर प्रतिफल के मध्य मे अन्तर	(-)9776	(-)10162	(-)11485	(-)11749	(-)13320

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023–24 के दौरान निवेश पर प्रतिफल ₹ 49.66 करोड़ (0.03 प्रतिशत) था। 2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान निवेश पर प्रतिफल 0.03 प्रतिशत से 0.14 प्रतिशत के मध्य था, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा अपनी उधारी पर भुगतान की गई औसत ब्याज दर 7.24 प्रतिशत से 7.72 प्रतिशत के मध्य थी। 2019–20 से 2023–24 (विगत पाँच वर्षों) की अवधि में सरकारी उधार की लागत और पीएसयू और अन्य संस्थाओं में निवेश पर प्रतिफल में अन्तर ₹ 56,492 करोड़ था।

(ii) राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

कोआपरेटिव सोसाइटीज़, निगम तथा कम्पनियों में निवेश के साथ–साथ राज्य सरकार विभिन्न इकाईयों/संस्थाओं को ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती है। **तालिका 2.22 वर्ष** 2019–20 से 2023–24 की अवधि में ब्याज भुगतान के साथ–साथ ब्याज प्राप्ति का विवरण तथा 31 मार्च 2024 को राज्य सरकार के अवशेष ऋण तथा अग्रिम का विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 2.22 : 2019–24 के दौरान वितरित और वसूले गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बकाया ऋणों का प्रारम्भिक अवशेष	30709.56	27188.98	27206.86	27880.79	36752.10
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई धनराशि	2120.00	1152.61	1613.36	10208.63	8014.96

[8] यह आँकड़े वित्त लेखे के विवरण 19 (खण्ड 2) के अनुसार है। विवरण 19 (खण्ड 1) जो सम्बन्धित इकाईयों एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी सूचनाओं पर आधारित है, इसका अन्तर समाधान की प्रक्रिया में है।

[9] सकल अवशेष लोक ऋण का औसत ब्याज = [ब्याज भुगतान/{(लोक ऋण का प्रारंभिक शेष+लोक ऋण का अन्तिम शेष)/2}* 100]

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्ष के दौरान वसूल की गई धनराशि	5640.58	1134.73	939.43	1337.32	1834.43
बकाया ऋणों का अन्तिम अवशेष	27188.98	27206.86	27880.79	36752.10	42932.63
शुद्ध वृद्धि	(-)3520.58	17.88	673.93	8871.31	6180.53
प्राप्त ब्याज	112.29	89.18	66.78	42.33	17.24
सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज की दर	0.39	0.33	0.24	0.13	0.05
सरकार के बकाया ऋणों पर भुगतान किये गये ब्याज की दर	7.69	7.36	7.72	7.25	7.24
प्राप्त ब्याज दर और भुगतान किये गये ब्याज के बीच अन्तर (प्रतिशत)	(-)7.65	(-)7.03	(-)7.48	(-)7.13	(-)7.19

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2022–23 में ₹ 10,208.63 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2023–24 में ₹ 8,014.96 करोड़ ऋण के रूप में दिए गए। चालू वर्ष के दौरान दिए गए ऋणों में सम्मिलित हैं:

- चीनी मिलों के गन्ना मूल्य के बकाये के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ को ₹ 1,300 करोड़ का ऋण, यद्यपि वर्ष के प्रारम्भ में ₹ 2,010 करोड़ का ऋण बकाया था।
- राज्य में निजी निवेशकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक पार्कों और औद्योगिक केंद्रों के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ₹ 5,000 करोड़ का ऋण।

वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण में ₹ 6,180.53 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2022–23 की तुलना में ऋण वसूली में ₹ 497.11 करोड़ की वृद्धि हुई तथा ब्याज प्राप्ति में ₹ 25.09 करोड़ की कमी आयी। वर्ष 2023–24 के दौरान ब्याज की प्राप्ति दिये गये बकाया ऋण का केवल 0.05 प्रतिशत थी।

(iii) अपूर्ण परियोजनाओं पर पूंजी का अवरोधन

वित्त लेखे का **परिशिष्ट–IX** अपूर्ण पूँजीगत कार्यों की समग्र स्थिति को दर्शाता है। परिशिष्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग में अपूर्ण कार्यों की सूची सम्मिलित है, यद्यपि सूची में राज्य सरकार के अन्य विभागों के सभी अपूर्ण कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर पूंजी का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लम्बे समय के लिये अभिप्रेत लाभों से वंचित रखता है। अग्रेतर, सम्बन्धित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि ऋण और ब्याज देनदारियों के भुगतान के रूप में अतिरिक्त दायित्व की ओर ले जाती है।

वित्त लेखे 2023–24 के **परिशिष्ट–IX** के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक 608 पूँजीगत परियोजनाएं अपूर्ण थीं, जिन पर ₹ 4,444.68 करोड़ की राशि व्यय की गई थी एवं ₹ 4,350.89 करोड़ के भुगतान लम्बित थे, जैसा कि **तालिका 2.23** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.23 : 31 मार्च 2024 तक विभागवार अपूर्ण परियोजनाएं

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
लोक निर्माण	603	8449.78	4281.16
सिंचाई	05	195.15	163.22
योग	**608**	**8644.93**	**4444.68**

स्रोत: वित्त लेखा 2023–24

2.4.3 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपना व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से सम्बद्ध है, यदि आवंटन सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी मानी जाती है। सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र आदि पर व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को **तालिका 2.24** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.24: स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पूँजीगत व्यय के सम्बन्ध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

श्रेणी	कुल व्यय/जीएसडीपी	पूँजीगत व्यय/टीई	शिक्षा/टीई	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/टीई
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2019-20)	15.88	12.72	15.79	5.25
उत्तर प्रदेश (2019-20)	21.23	16.62	15.34	5.53
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2023-24)	15.66	15.38	14.36	5.71
उत्तर प्रदेश (2023-24)	21.52	20.16	13.16	5.57

स्रोत: आँकड़े सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखों से आगणित किये गये हैं
टीई–कुल व्यय

तालिका 2.24 यह दर्शाता है कि:

- 2019–20 और 2023–24 के दौरान राज्य सरकार के कुल व्यय का जीएसडीपी से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत की तुलना में अधिक था। अग्रेतर, यह 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2023–24 में 21.23 प्रतिशत से बढकर 21.52 प्रतिशत हो गया।
- पूँजीगत व्यय परिसम्पत्ति निर्माण की सुविधा देता है, जो उच्च विकास के अवसर पैदा करता है। कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2019–20 में 16.62 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 20.16 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2019–20 और 2023–24 में राज्य के कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था।

- उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात वर्ष 2019–20 में 15.34 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023–24 में 13.16 प्रतिशत हो गया। अग्रेतर, दोनों वर्षों के दौरान यह सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।
- उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय का कुल व्यय से अनुपात वर्ष 2019–20 में 5.53 प्रतिशत से घट्कर वर्ष 2023–24 में 5.27 प्रतिशत हो गया। अग्रेतर, यह वर्ष 2023–24 में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था।

2.4.4 मानक मदवार व्यय

मानक मद विनियोग की प्राथमिक इकाई है, जो व्यय की आर्थिक प्रकृति जैसे वेतन, पेंशन, सहायक अनुदान, ब्याज, सब्सिडी इत्यादि को दर्शाता है। वर्ष 2023–24 के दौरान मानक मदवार व्यय को **चार्ट 2.13** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.13 : वर्ष 2023–24 के दौरान मानक मदवार व्यय (प्रतिशत में)

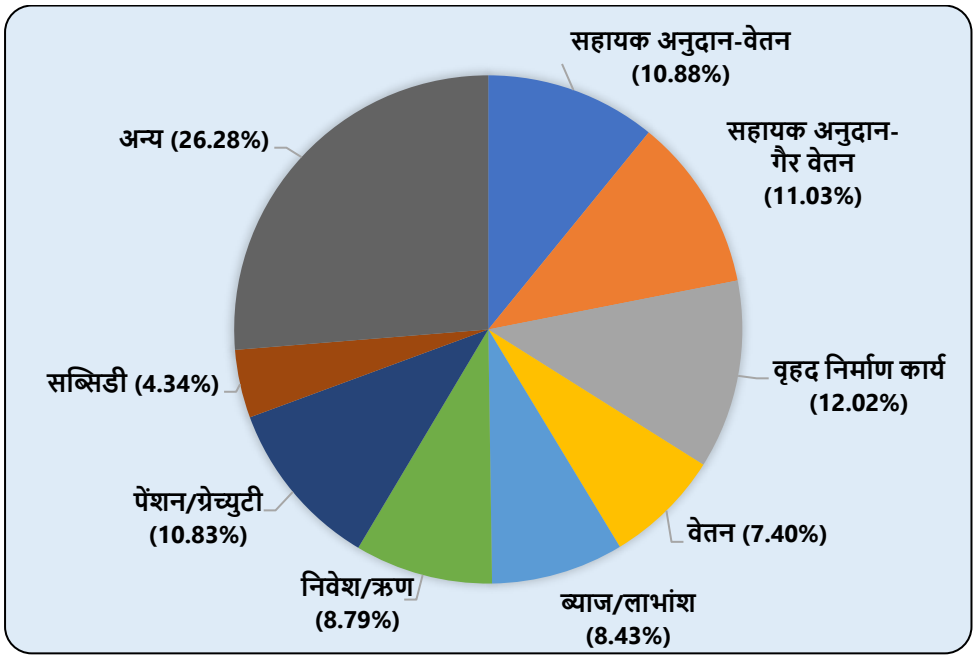

स्रोतः वित्त लेखा 2023–24

चार्ट 2.13 से स्पष्ट है कि राज्य की संचित निधि के अन्तर्गत मानक मद वेतन, वेतन के लिये सहायता अनुदान एवं पेंशन तथा सेवानिवृत्ति परिलाभों के अन्तर्गत व्यय, कुल व्यय (₹ 5,69,747 करोड़) का 29.11 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, सहायता अनुदान (गैर–वेतन), ब्याज/लाभांश एवं सब्सिडी संचित निधि व्यय का क्रमशः 11.03 प्रतिशत, 8.43 प्रतिशत और 4.34 प्रतिशत था। निवेश एवं ऋण और वृहद निर्माण कार्यों, जो कि पूँजीगत प्रकृति के थे, पर व्यय संचित निधि के व्यय का क्रमशः 8.79 प्रतिशत और 12.02 प्रतिशत था।

2.5 लोक लेखा

प्राप्तियों एवं संवितरणों से सम्बन्धित कुछ संव्यवहारों यथा लघु बचत, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियॉ, जमा, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि के भाग नहीं होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अन्तर्गत गठित लोक लेखे में रखे जाते है एवं यह

राज्य विधायिका के मतदान के अधीन नहीं होते हैं। सरकार इनके सम्बन्ध में एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात् अवशेष विभिन्न प्रयोजनों एवं उपयोग के लिए सरकार के पास उपलब्ध निधि है।

2.5.1 निवल लोक लेखा संव्यवहार

लोक लेखा के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति वित्त लेखे के विवरण–21 में दर्शायी गई है तथा 2019–24 की अवधि के दौरान लोक लेखा (निवल) के संव्यवहारों का विवरण **तालिका 2.25** में दिया गया है।

तालिका 2.25 : 2019–24 के दौरान घटक–वार लोक लेखा (निवल) संव्यवहार

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप–क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि	लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि	3314	1062	525	413	948
आरक्षित निधियॉं	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	1757	(-)252	2693	729	3045
	(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ *	(-)70056	753	1200	2963	1534
जमा एवं अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	883	607	(-) 717	(-)1948	92
	(ब) ब्याज रहित जमा	(-)2990	1308	(-) 741	5547	2172
	(स) अग्रिम	17	(-) 0.15	0	0	0
उचन्त एवं विविध	(अ) उचन्त	(-)1743	1859	1444	(-)394	68
	(ब) अन्य लेखे**	(-)85	(-)162	17	429	(-)43
	(स) बाह्य देशों की सरकारों के साथ लेखे	0	0	0	0	0
	(द) विविध	0	0	0	(-)0.10	0
प्रेषण	(अ) मनी आर्डर तथा अन्य प्रेषण	308	(-)323	25	1046	(-)708
	(ब) अन्तर शासकीय समायोजन लेखे	5	(-)2	(-)4	10	1
योग		**(-)68590**	**4850***	**4442***	**8795***	**7109***

टिप्पणी: धनात्मक इंगित करता है कि प्राप्तियां संवितरण से अधिक हैं और ऋणात्मक उसका विपरीत इंगित करता है।

* *रक्षित निधि में निवेश जो कि प्रारम्भिक एवं अन्तिम रोकड़ अवशेष का भाग है, को छोड़कर।*

** *मुख्य शीर्ष 8671–विभागीय अवशेष, 8672–स्थायी रोकड़ अग्रदाय एवं 8673–रोकड़ अवशेष निवेश लेखा और रक्षित निधि में निवेश जो आरंभिक एवं अन्तिम अवशेष का भाग है, के अन्तर्गत लेन–देन को छोड़कर।*

2.5.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य सरकार के लोक लेखे के अन्तर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधियाँ सृजित की जाती हैं। इन निधियों की पूर्ति राज्य की संचित निधि के साथ–साथ भारत सरकार से अंशदान या अनुदान से की जाती है। आरक्षित निधियों एवं निर्धारित निधियों से निवेश के बारे में विस्तार से सूचना वित्त लेखे के विवरण 21 और 22 में उपलब्ध है, जिसे ***परिशिष्ट 2.3*** में संक्षेपित किया गया है।

31 मार्च 2024 को, आरक्षित निधियों में कुल संचयी अवशेष ₹ 17,190.69 करोड़ था। इनमें से ब्याज[10] सहित आरक्षित निधि के अन्तर्गत ₹ 7,972.88 करोड़ था एवं ब्याज रहित आरक्षित निधि के अन्तर्गत ₹ 9,217.81 करोड़ था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने आरक्षित निधि अवशेष से ₹ 7,045.20 करोड़ सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया था। कुछ प्रमुख आरक्षित निधियों के विवरण की चर्चा नीचे की गयी है:

2.5.2.1 समेकित निक्षेप निधि

राज्य सरकार ने मार्च 2020 में 'उत्तर प्रदेश सरकार की समेकित निक्षेप निधि' का गठन किया, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 से लागू हुआ था। सरकार की लम्बित देनदारियों के विमोचन के लिये परिशोधन निधि के रूप में निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020–21 से किया जाना था। राज्य सरकार की अधिसूचना (17 मार्च 2020) के अनुसार, सरकार विगत वर्ष के अन्त में लम्बित देनदारियों, अर्थात आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखे की देनदारियों का कम से कम 0.5 प्रतिशत योगदान करेगी। निधि के कोष में आवधिक अंशदान के साथ–साथ निधि में उपार्जित आय को सरकार के सामान्य राजस्व से बाहर रखा जायेगा। सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अधीन निधि का प्रबन्धन आरबीआई द्वारा किया जायेगा। निधि में प्राप्ति का निवेश भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, कोषागार बिल, भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों और अन्य राज्यों के ऐसे परिपक्वता राज्य विकास ऋणों में किया जायेगा, जैसा कि बैंक समय–समय पर सरकार के परामर्श से निर्धारित करें।

समेकित निक्षेप निधि में 1 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक अवशेष ₹ 5,500 करोड़ था, जिसे लोक लेखे के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 8222–01–101–निक्षेप निधि में रखा गया था। वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार ने राज्य की संचित निधि से ऋण के परिहार या विनियोग की कमी के लिए लेखाशीर्ष 2048–00–101 से ₹ 1,500 करोड़ निधि में स्थानान्तरित किया। अग्रेतर, वर्ष 2023–24 के दौरान निधि से कोई संवितरण नहीं किया गया था। इस प्रकार 31 मार्च 2024 को, समेकित निक्षेप निधि में (उपार्जित ब्याज को छोड़कर जिसे राज्य सरकार द्वारा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश को सूचित नहीं किया गया था) शेष राशि ₹ 7,000 करोड़ थी।

समेकित निक्षेप निधि के दिशा–निर्देशों के दृष्टिगत, सरकार द्वारा समेकित निक्षेप निधि में कम से कम ₹ 3,139.76 करोड़ (वर्ष 2022–23 के अन्त में आन्तरिक ऋण और लोक लेखे की अवशेष ₹ 6,27,952.09 करोड़ की देनदारियों का 0.50 प्रतिशत) का अंशदान करना अपेक्षित था। इस प्रकार, ₹ 1,639.76 करोड़ (₹ 3,139.76 करोड़– ₹ 1,500.00 करोड़) का कम अंशदान किया गया था, जो वर्ष 2023–24 के दौरान निक्षेप निधि निवेश का भाग नहीं बन सका। वर्ष 2023–24 के दौरान समेकित निक्षेप निधि में कम अन्तरण के कारण ₹ 1,639.76 करोड़ से राज्य के राजस्व अधिशेष को अधिक एवं राजकोषीय घाटे को कम करके दर्शाया गया।

[10] एक निधि जहाँ राज्य सरकार को निधि में जमा धनराशि पर सरकार द्वारा तय की गयी दर से ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है।

2.5.2.2 मूल्यह्रास आरक्षित निधि

राज्य सरकार ने अनुपयोगी संयन्त्र एवं मशीनरी के नवीनीकरण तथा प्रतिस्थापन हेतु संयन्त्र एवं मशीनरी के क्रय, संयन्त्र एवं मशीनरी की विशेष मरम्मत तथा नवीनतम तकनीक से युक्त संयन्त्र एवं मशीनरी क्रय हेतु उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डीआरएफ) का सृजन किया (मार्च 2005)। डीआरएफ का रख–रखाव लोक लेखे में लेखा शीर्ष 8226–102 के अन्तर्गत किया जाता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, निधि में ₹ 14.19 करोड़ का प्रारम्भिक अवशेष था और वर्ष 2023–24 के दौरान न तो निधि में कोई राशि हस्तांतरित की गई और न ही निधि से कोई राशि आहरित की गई। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2024 को डीआरएफ का अन्तिम अवशेष ₹ 14.19 करोड़ था।

सरकार ने निर्धारित किया कि डीआरएफ के लिये 1.5 प्रतिशत धनराशि कार्य के सापेक्ष डेबिट की जायेगी और प्राप्ति शीर्ष 1054–800–04 में जमा की जायेगी। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग डीआरएफ नियमावली, 2005 के अन्तर्गत, यह धनराशि अभीष्ट उद्देश्यों के लिये लोक लेखे के अन्तर्गत डीआरएफ में अन्तरित की जायेगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2023–24 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने डीआरएफ के सापेक्ष लेखाशीर्ष 1054–800–04 के अन्तर्गत ₹ 113.68 करोड़ प्राप्त किया, जिसके सापेक्ष कोई धनराशि हस्तांतरित नही किया गया था। इस प्रकार, सरकार ने कार्य की लागत में वृद्धि करके अपनी राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की थी।

31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में भी इस प्रकरण को प्रकाश में लाया गया था।

2.5.2.3 राज्य आपदा अनुक्रिया निधि

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (एसडीआरएफ), आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (ए) के अन्तर्गत गठित एक कोष है। अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों (जनवरी 2022) के अनुसार, एसडीआरएफ का उपयोग केवल अधिसूचित आपदाओं यथा चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीटों के हमले एवं शीत लहर/ठंड के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु किया जायेगा। एसडीआरएफ के दिशानिर्देश आगे निम्नलिखित को निर्धारित करते हैं:

- सम्बन्धित राज्य सरकारों के लेखे में मुख्य शीर्ष–8121–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि के नीचे 'ब्याज सहित आरक्षित निधि' के अन्तर्गत लोक लेखे में निधि का गठन किया जायेगा।
- अवधि 2021–22 से 2025–26 के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक राज्य में एसडीआरएफ का आकार 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार निर्धारित होगा। एसडीआरएफ के निर्धारित कुल आकार में से, भारत सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिये कुल वार्षिक आवंटन का 75 प्रतिशत का योगदान करेगी और शेष 25 प्रतिशत का योगदान सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

- राज्य सरकार एसडीआरएफ के अन्तर्गत अवशेष धनराशि पर आरबीआई के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज का भुगतान करेगी। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। एसडीआरएफ के निवेश पर अर्जित आय के साथ एसडीआरएफ में प्राप्ति को केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किये गये कोषागार बिलों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज अर्जित जमा में निवेश किया जाना है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार ने लेखाशीर्ष 8121–122–एसडीआरएफ के अन्तर्गत एसडीआरएफ का रख–रखाव किया था। उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबन्धन के लिये 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2023–24 के लिये ₹ 2,273.60 करोड़ आवंटित किया था, जिसमें भारत सरकार (₹ 1,705.60 करोड़) और राज्य सरकार (₹ 568 करोड़) का अंशदान सम्मिलित था। इसके सापेक्ष राज्य सरकार को भारत सरकार से ₹ 1,664.80 करोड़ प्राप्त हुए तथा राज्य सरकार ने एसडीआरएफ में ₹ 2,219.60 (₹ 554.80 करोड़ राज्य के अंश को सम्मिलित करते हुए) हस्तांतरित किये। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से एनडीआरएफ के लिये कोई धनराशि प्राप्त नही हुई।

2023–24 के दौरान, लेखाशीर्ष 8121–122–एसडीआरएफ के अन्तर्गत ₹ 3,158.36 करोड़ का प्रारम्भिक अवशेष था एवं वर्ष के दौरान इसे ₹ 2,956.13 करोड़ प्राप्त हुए। अग्रेतर, प्राकृतिक आपदाओं पर किये गये ₹ 1,561.61 करोड़ के व्यय को निधि के अवशेष के सापेक्ष समायोजित किया गया। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 को शीर्ष 8121–122–एसडीआरएफ में अवशेष धनराशि ₹ 4,552.88 करोड़ थी, जो कि ब्याज सहित एक आरक्षित निधि है। अग्रेतर, राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के अन्तर्गत उपलब्ध शेष धनराशि पर देय ब्याज ₹ 307.10 करोड़ के सापेक्ष ₹ 292.92 करोड़ का ब्याज जमा किया था। इस प्रकार, ₹ 14.18 करोड़ के ब्याज के कम भुगतान के कारण वर्ष के दौरान राजस्व व्यय कम तथा राजस्व अधिशेष अधिक दर्शाया गया था ।

2.5.2.4 राज्य आपदा शमन निधि

राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) का गठन आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के अन्तर्गत किया जाना है। यह निधि विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत आने वाली आपदाओं के सम्बन्ध में शमन परियोजनाओं के सम्बन्ध में एसडीआरएफ/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) दिशानिर्देश और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदाओं के उद्देश्य से गठित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121–130–राज्य आपदा शमन निधि के अन्तर्गत एसडीएमएफ के संचालन को अधिसूचित किया था (अगस्त 2022), जो ब्याज सहित आरक्षित निधि है। केन्द्र एवं राज्य सरकार को निधि में 75:25 के अनुपात में अभिदान करना अपेक्षित था ।

वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से ₹ 629.40 करोड़ प्राप्त हुए तथा केन्द्रांश (₹ 629.40 करोड़) तथा राज्यांश (₹ 209.70 करोड़) को सम्मिलित करते हुए ₹ 839.10 करोड़ हस्तांतरित किया गया । शीर्ष 8121–130–एसडीएमएफ में निधि का प्रारंभिक शेष ₹ 786.30 करोड़ था तथा वर्ष 2023–24 में शीर्ष में कुल

प्राप्तियॉ ₹ 1,486.94 करोड़ थी । अग्रेतर, निधि से ₹ 136.52 करोड़ का व्यय किया गया। इस प्रकार 31 मार्च 2024 को निधि का अंतिम अवशेष ₹ 2,136.72 करोड़ था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने एसडीएमएफ में अवशेष धनराशि पर वर्ष 2023–24 में देय ब्याज ₹ 124.79 करोड़ के सापेक्ष ₹ 92.31 करोड़ का ब्याज जमा किया था। इस प्रकार, ₹ 32.48 करोड़ के ब्याज के कम भुगतान के कारण वर्ष के दौरान राजस्व व्यय को कम तथा राजस्व अधिशेष अधिक दर्शाया गया था।

2.5.2.5 प्रत्याभूति विमोचन निधि

राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर निर्गत बांडों और राज्य स्तरीय उद्यमों या अन्य निकायों द्वारा लिये गये ऋण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्गत की गई प्रत्याभूति से उत्पन्न होने वाले भुगतान दायित्वों की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की प्रत्याभूति विमोचन निधि के गठन और प्रशासन की योजना को अधिसूचित (जनवरी 2021) किया। यह फंड वित्तीय वर्ष 2021–22 से लागू होना था और इसे आरबीआई द्वारा प्रशासित किया जाना था। दिशानिर्देशों[11] के अनुसार, राज्य सरकार प्रारम्भ में न्यूनतम एक प्रतिशत का योगदान देगी एवं तदोपरान्त अगले पाँच वर्षों में न्यूनतम तीन प्रतिशत के स्तर को प्राप्त करने के लिए विगत वर्ष के अन्त में बकाया गारंटी का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत की दर से योगदान देगी।

विभिन्न संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति की स्थिति वित्त लेखे के विवरण 9 एवं 20 में दी गई है, जो राज्य सरकार से प्राप्त सूचना पर आधारित है। वित्त लेखे 2022–23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 के अन्त में अवशेष क्रियान्वित प्रत्याभूति ₹ 1,70,780.52 करोड़ थी। तथापि वित्त लेखे 2023–24 के अनुसार, वर्ष 2023–24 के प्रारम्भ में 19 संस्थाओं, यथा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों और अन्य संस्थानों के लिये राज्य सरकार द्वारा निष्पादित बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,65,556.86 करोड़ थी। इस प्रकार वर्ष 2022–23 के अन्त में अवशेष प्रत्याभूति तथा वर्ष 2023–24 के प्रारम्भ में शेष प्रत्याभूति में ₹ 5,223.66 करोड़ का अन्तर था। अन्तर का समाधान उत्तर प्रदेश सरकार तथा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश के मध्य होना शेष था।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने वर्ष 2023–24 में निधि में आवश्यक योगदान ₹ 1707.81 करोड़ के सापेक्ष कोई योगदान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1707.81 करोड़ से राजस्व व्यय में कमी तथा राजस्व अधिशेष में अधिकता थी।

2.5.2.6 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि

राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एससीएएफ) की स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत की गई थी। प्रतिपूरक वनीकरण निधि (लेखांकन प्रक्रिया) नियम, 2018 प्रावधानित करता है कि राज्य सरकारों द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसियों[12] से प्राप्त धनराशि को राज्य के लोक लेखे में मुख्य शीर्ष 8336–सिविल

[11] जैसा दिसम्बर 2022 मे संशोधित किया गया

[12] 'उपयोगकर्ता एजेंसी' से तात्पर्य किसी व्यक्ति, संस्थान या कम्पनी या भारत सरकार या राज्य सरकार के विभाग से है जो गैर–वन उद्देश्य हेतु विपथन करने या वनभूमि की अधिसूचना रद्द करने का अनुरोध करता है अथवा वनभूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में निहित प्रावधानों तथा उसके बाद बने नियमों तथा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–वन उद्देश्यों हेतु उपयोग करने का अनुरोध करता है।

जमा के नीचे लघु शीर्ष–103 के अन्तर्गत ब्याज सहित खण्ड के अधीन 'राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निक्षेप' में जमा किया जाना है। इसमें से 90 प्रतिशत को राज्य के लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121–सामान्य और अन्य आरक्षित निधि के नीचे लघु शीर्ष 129–एससीएएफ में अन्तरित किया जायेगा और शेष 10 प्रतिशत प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 3 (4) के अनुसार राष्ट्रीय निधि में जमा किया जायेगा।

01 अप्रैल 2023 को, एससीएएफ में ₹ 982.68 करोड़ का प्रारम्भिक अवशेष था। 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार को उपयोगकर्ता एजेंसियों से कोई धनराशि प्राप्ति नहीं हुई थी, अग्रेतर राज्य सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण जमा से एससीएएफ के लिये ₹ 467.35 करोड़ मिले थे और निधि से ₹ 166.84 करोड व्यय किया गया था। 31 मार्च 2024 को एससीएएफ में ₹ 1,283.19 करोड़ शेष था।

शीर्ष 8336–सिविल जमा के अन्तर्गत राज्य प्रतिकरात्मक वनीकरण जमा और शीर्ष 8121– सामान्य और अन्य आरक्षित निधि के अन्तर्गत एससीएएफ में उपलब्ध शेष राशि पर ब्याज का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर घोषित लागू दर के अनुसार किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार ने 2023–24 के दौरान शेष राशि पर 3.35 प्रतिशत[13] की दर से देय ₹ 34.01 करोड़ का ब्याज हस्तांतरित नहीं किया। इस प्रकार, वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 34.01 करोड़ से राज्य का राजस्व अधिशेष अधिक और राजकोषीय घाटा कम था।

2.5.2.7 केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि

केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे की सुरक्षा में सुधार, राज्य और ग्रामीण सड़कों और अन्य अवसंरचना आदि के विकास और रखरखाव के लिये किया जाता है। वर्तमान लेखांकन प्रक्रिया के सन्दर्भ में सीआरआईएफ के सम्बन्ध में भारत सरकार से राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारम्भ में मुख्य शीर्ष 1601 के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के रूप में पुस्तांकित किया जाता है और उसके बाद प्राप्त धनराशि को मुख्य शीर्ष 8449–103–केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जाता है ।

वर्ष 2023–24 के दौरान सीआरआईएफ के अन्तर्गत प्रारम्भिक शेष ₹ 64.66 करोड़ था, राज्य सरकार को भारत सरकार से सीआरआईएफ के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई धनराशि प्राप्त नही हुई थी तथा वर्ष के दौरान निधि से भुगतान शून्य था। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 को निधि का अन्तिम शेष ₹ 64.66 करोड़ था।

2.5.3 राज्य की संचित निधि या लोक लेखे से बाहर रखी गयी निधियाँ

अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1) प्रावधान करता है कि राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, सरकार द्वारा राज हुंडियों को निर्गमित करके, उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार एवं उधारों के प्रति संदाय में सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से एक संचित

[13] जैसा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित (मई 2024) किया गया।

निधि बनेगी जो "राज्य की संचित निधि" के नाम से ज्ञात होगी। अनुच्छेद 266(2) प्रावधान करता है कि राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य लोक धनराशियाँ राज्य के लोक लेखे में जमा की जायेंगी। तथापि, निम्नलिखित प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धन संचित निधि/लोक लेखे का भाग नहीं बना जैसा कि नीचे चर्चा की गयी है :

2.5.3.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं बीओसीडब्ल्यू (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 ऐसे प्रतिष्ठान, जिसने किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में विगत बारह महीने के किसी भी दिन दस या अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया हो, को समाविष्ट करता है। अधिनियम में अन्य बातों के साथ, श्रमिकों के कार्य की दशाओं में सुधार एवं उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से कल्याण बोर्ड के गठन किये जाने तथा निर्माण की लागत पर उपकर के आरोपण एवं संग्रहण के माध्यम से कल्याण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि किये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार, राज्य सरकार ने उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड का गठन (नवम्बर 2009) किया तथा उपकर अधिनियम के अनुसार एक प्रतिशत की दर से उपकर का आरोपण किया। समय–समय पर यथा संशोधित, उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू नियम, 2009 में पंजीकरण शुल्क ₹ 20 एवं पंजीकृत श्रमिकों से वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 20 का संग्रहण करने का प्रावधान है।

वर्ष 2019–24 की अवधि में उपकर की प्राप्तियों एवं उपयोग का विवरण, जैसा कि बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया गया, **तालिका 2.26** में दिया गया है।

तालिका 2.26: 2019–24 की अवधि के दौरान पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति, उद्ग्रहीत उपकर एवं उपभोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्तियां				कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय	अटल आवासीय विद्यालय के लिये कॉर्पस फंड	अन्तिम अवशेष
		पंजीकरण शुल्क एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क	श्रम उपकर		जमा धनराशि पर ब्याज				
			बोर्ड के खाते में प्राप्त	कोषागार (राज्य सरकार से प्राप्त)					
1	2	3	4	5	6	7 (स्तम्भ 2 से 6)	8	9	10 [स्तम्भ 7-(8+9)]
2019-20	4885.20	13.15	916.45	8.73	323.18	6146.71	362.67	0.00	5784.04
2020-21	5784.04	9.31	878.81	10.00	360.00	7042.16	882.54	0.00	6159.62
2021-22	6159.62	3.71	1007.55	9.78	310.80	7491.46	1697.50	1890.00	3903.96
2022-23	3903.96	9.63	1297.46	40.10	305.05	5556.20	626.61	450.00	4479.59
2023-24	4479.59	6.57	1730.42	40.23	437.87	6694.68	862.16	0.00	5832.52

स्रोत: उ0प्र0 बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड (वर्ष 2023–24 के अनन्तिम आँकड़े)

राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों एवं अन्य विभागों/स्थानीय निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारियों को उपकर निर्धारक अधिकारी एवं उपकर संग्राहक अधिकारी नियुक्त (नवम्बर 2009 एवं सितम्बर 2010) किया।

आगे राज्य सरकार ने संग्रहीत उपकर को बोर्ड के राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते में जमा करने का आदेश (अगस्त 2013 एवं सितम्बर 2016) निर्गत किया। उपर्युक्त **तालिका 2.26** से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2024 को बोर्ड के पास ₹ 5,832.52 करोड़ उपलब्ध थे।

बीओसीडब्ल्यू उपकर नियम, 1998[14] प्रावधानित करता है कि संग्रहीत उपकर राज्य के लेखाकंन प्रक्रिया के अन्तर्गत बोर्ड के लेखाशीर्ष में बोर्ड को अन्तरित किया जायेगा। उपकर को शासकीय लेखे में लिये बिना बोर्ड के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरित करने का आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) का उल्लंघन करता है। सरकार के लेखे के माध्यम से उपकर का लेखाकरण नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार के लेखे से यह भी निश्चित नहीं किया जा सकता है कि विभिन्न संग्राहक अधिकारियों द्वारा उपकर, फीस आदि के मद में कितनी धनराशि संग्रहीत की गयी और कितनी धनराशि बोर्ड को अन्तरित की गयी।

अग्रेतर देखा गया कि वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार के लेखे में ₹ 8.86 करोड़ लेबर सेस के मुख्य शीर्ष 0230 में जमा हुए थे और ₹ 40.23 करोड़ बोर्ड को हस्तांतरित किये गये थे ।

2.6 लोक दायित्व प्रबन्धन

लोक दायित्व प्रबन्धन सरकार के दायित्वों के प्रबन्धन के लिए एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, जिससे आवश्यक मात्रा में निधियों की उगाही, इसके जोखिम तथा लागत उद्देश्यों की प्राप्ति और कोई अन्य संप्रभु ऋण प्रबन्धन लक्ष्य जिसे अधिनियम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो, को पूर्ण किया जा सके।

2.6.1 दायित्व की रूपरेखा : घटक

राज्य सरकार के सकल दायित्व का गठन सामान्यतः राज्य के आन्तरिक ऋण (बाजार ऋण, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम एवं लोक लेखा दायित्वों से होता है।

वित्त लेखे का विवरण 6, राज्य सरकार के बकाया दायित्व की स्थिति को प्रदर्शित करता है। राज्य सरकार ने बजट अभिलेखों में अतिरिक्त बजट देनदारियों को प्रकट नहीं किया था। **तालिका 2.28** में 2019–20 से 2023–24 के दौरान घटकवार ऋण प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.28 : अवधि 2019–24 में घटक वार दायित्वों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सकल बकाया दायित्व		**502412**	**564972**	**612956**	**662316**	**767872**
लोक ऋण	आन्तरिक ऋण	405049	458552	496423	533477	614779
	भारत सरकार से ऋण	11529	18107	27261	34364	52327

[14] बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड अधिनियम, 1996 की धारा 14 की उपधारा (1) में दिये गये अधिकार का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने बीओसीडब्ल्यू उपकर नियम, 1998 बनाया जिसे भारत के राजपत्र में दिनांक 26 मार्च 1998 को अधिसूचित किया गया।

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
लोक लेखा दायित्व	85834	88313	89272	94475	100766
सकल अवशेष दायित्व की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)3.03	12.45	8.49	8.05	15.94
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	**1700062**	**1640097**	**1981367**	**2284104**	**2547861**
सकल दायित्व/जीएसडीपी (प्रतिशत)*	29.55	34.08	30.22	28.38	29.58
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियां	112696	123555	121852	116747	185054
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अन्तर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन तथा ब्याज)	163192	98424	116743	110395	126775
उपलब्ध निवल निधियाँ	(-)50496	25131	5109	6352	58279
उपलब्ध निवल निधियों की लोक ऋणों एवं अन्य दायित्व के अन्तर्गत प्राप्तियों से प्रतिशतता	(-)44.81	20.34	4.19	5.44	31.49

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* *सकल बकाया दायित्व की गणना जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020–21 में ₹ 6,007 करोड़ तथा 2021–22, 2022–23, 2023–24 में ₹ 14,146.94 करोड़ के बैक–टू–बैक ऋण, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है, को छोड़कर की गयी है ।*

जैसा कि **तालिका 2.28** में दर्शाया गया है, अवधि 2019–24 के दौरान राज्य सरकार के सकल बकाया दायित्व के अन्तर्गत आन्तरिक ऋण वर्ष 2019–20 में ₹ 4,05,049 करोड़ से 51.78 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2023–24 में ₹ 6,14,779 करोड़ हो गया। वर्ष 2023–24 के दौरान इसमें विगत वर्ष की तुलना में 15.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि ₹ 80,722.64 करोड़ के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु आवश्यक थी। 31 मार्च 2024 को, आन्तरिक ऋण (₹ 6,14,778.94 करोड़) में बाजार ऋण (₹ 5,37,117.50 करोड़), वित्तीय संस्थानों से ऋण (₹ 47,412.95 करोड़), राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 30,126.31 करोड़) और अन्य ऋण (₹ 122.18 करोड़) सम्मिलित है। इस प्रकार बाजार ऋण राज्य सरकार की कुल वित्तीय देनदारियों (₹ 7,67,872 करोड़) का 69.94 प्रतिशत था।

विगत वर्ष 2022–23 की तुलना में 2023–24 के दौरान राज्य के सकल बकाया दायित्व में 15.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत उपलब्ध निवल निधि का उनकी प्राप्तियों से प्रतिशत में, वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 की अवधि में उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति थी तथा यह वर्ष 2023–24 मे सर्वाधिक 31.49 *प्रतिशत* था।

चार्ट 2.14 वर्ष 2023–24 के अन्त में वित्त लेखे के अनुसार राज्य सरकार के सकल बकाया दायित्व की स्थिति को दर्शाता है।

चार्ट 2.14 : वर्ष 2023–24 के अन्त में सकल बकाया दायित्व का विवरण

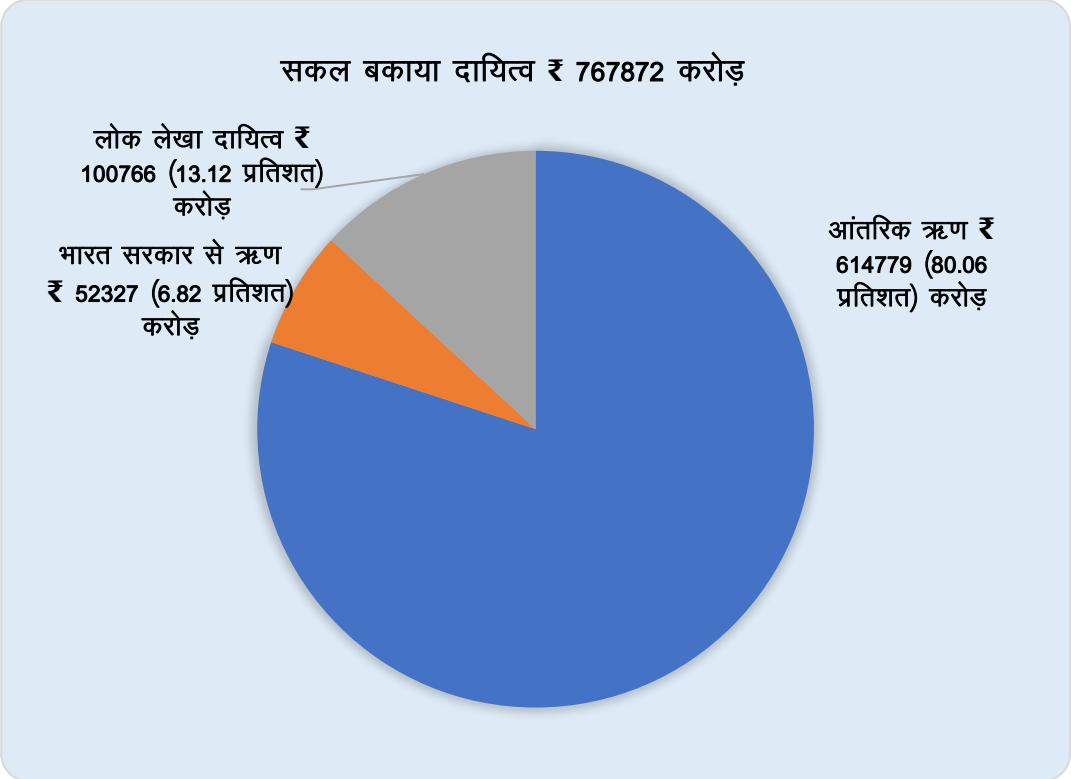

स्रोत: वित्त लेखे 2023–24

2019–24 की अवधि के दौरान लिये गये लोक ऋण एवं उसके पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति को **चार्ट 2.15** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.15: 2019–24 की अवधि के दौरान लिये गये लोक ऋण के सापेक्ष पुनर्भुगतान

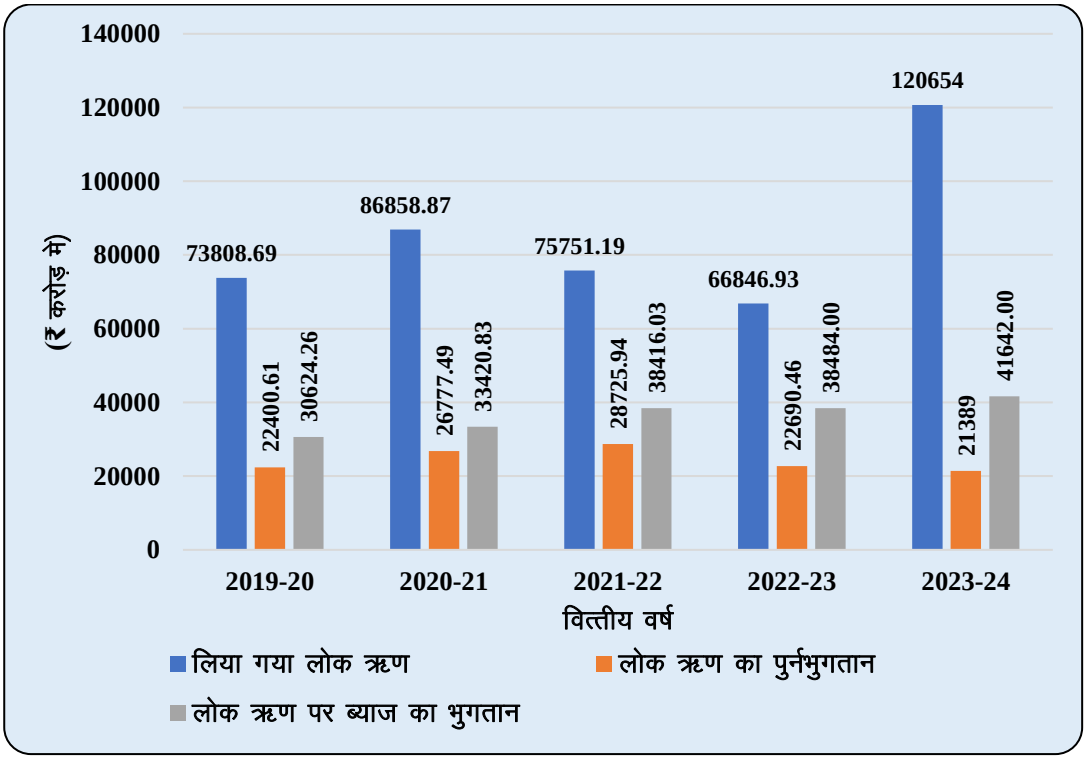

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.15 से स्पष्ट है कि अवधि 2019–20 से 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार ने अपनी लोक ऋण प्राप्त धनराशि का 52.24 प्रतिशत से 91.51 प्रतिशत का उपयोग विगत लोक ऋणों और ब्याज की देनदारियों के पुनर्भुगतान में किया, परिणामस्वरूप, लोक ऋण का मात्र 8.49 प्रतिशत से 47.76 प्रतिशत ही पूँजीगत व्यय के लिए उपलब्ध था। यह उपलब्धता वर्ष 2022–23 में न्यूनतम और वर्ष 2023–24 में अधिकतम थी। वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार ने अपनी ऋण प्राप्त धनराशि का 52.24 प्रतिशत पिछले ऋणों के पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान में उपयोग किया, परिणामस्वरूप मात्र 47.76 प्रतिशत धनराशि पूँजीगत व्यय के लिए उपलब्ध थी।

राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण

एक निर्दिष्ट अवधि में राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड,राजस्व घाटा/अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और प्राथमिक घाटा/अधिशेष, दर्शाते हैं। सरकारी लेखे में घाटा प्राप्तियों और व्यय के मध्य के अन्तर को दर्शाता है।

राजस्व अधिशेष राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के अन्तर को दर्शाता है। राजस्व अधिशेष ऋणों को कम करने में सहायक है। राजकोषीय घाटा राजस्व तथा गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों पर राजस्व और ऋण तथा अग्रिमों सहित पूँजीगत व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटा सरकार के निवल वृद्धिमान दायित्वों अथवा इसके अतिरिक्त उधार को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का ब्यौरा सरकार द्वारा अपनी निधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजस्व तथा गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियों से इतर विभिन्न उधारों के वित्तपोषण की सीमा को उद्घाटित करता है। अग्रेतर, जिस तरह से घाटे को वित्तपोषित किया गया और संसाधनों को लागू किया गया, राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तपोषण की प्रवृत्तियों, प्रकृति, परिमाण और तरीके को प्रस्तुत करता है। प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों की समग्र स्थिति **तालिका 2.29** में दी गई है।

तालिका 2.29: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इनके वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजकोषीय घाटे (-)/ अधिशेष (+)का संघटन–(अ)		**(+)11083**	**(-)54622**	**(-)39286**	**(-)64636**	**(-)80722.64**
1	राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	(+)67560	(-)2367	(+)33430	(+)37263	(+)36013.28
2	निवल पूँजीगत व्यय[15]	(-)59998	(-)52237	(-)71443	(-)93028	(-)110555.39
3	निवल ऋण एवं अग्रिम[16]	(+)3521	(-)18	(-)1273	(-)8871	(-)6180.53

[15] निवल पूँजीगत व्यय =विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ माइनस पूँजीगत व्यय; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय पूँजीगत प्राप्तियों से अधिक है।

[16] निवल ऋण और अग्रिम =ऋण और अग्रिम माइनस ऋण और अग्रिम का संवितरण ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि ऋणों और अग्रिमों का संतिवरण वर्ष के दौरान वसूली से अधिक था। वर्ष 2021–22 में, इसमें संचित निधि से आकस्मिकता निधि में ₹ 600 करोड़ का हस्तांतरण भी सम्मिलित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत बजटित किया गया था।

विवरण		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप (निवल)						
1	बाजार ऋण	55825.80	63499.68	46670.00	46111.96	89650.00
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 450.84	6577.99	9154.59	7102.82	17962.93
3	एनएसएसएफ को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	(-) 5122.07	(-) 5122.07	(-)5122.07	-5122.07	(-)5122.07
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1155.20	(-) 4874.22	(-)3677.27	(-)3936.23	(-)3225.53
5	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	3313.67	1062.40	525.12	412.91	947.90
6	जमा एवं अग्रिम	(-) 2089.80	1914.78	(-)1458.73	3598.74	2264.05
7	उचन्त एव विविध	(-) 1828.11	1697.48	1461.10	34.82	25.07
8	प्रेषण	313.50	(-)325.46	21.06	1056.61	(-)707.13
9	आरक्षित निधि	(-) 68298.52	500.94	3893.01	3691.79	4578.70
10	आकस्मिकता निधि	629.73	(-) 100.00	700.00	(-)0.06	(-)125.51
11	**सकल घाटा (ब)**	**(-) 16551.44**	**64831.52**	**52166.81**	**52951.29**	**106248.41**
12	**नगद अवशेष में वृद्धि (-)/कमी (+)(अ–ब)**	**5468.75**	**(-) 10209.41**	**(-) 12880.39**	**11684.97**	**25525.77**
13	**राजकोषीय घाटा (11+12)**	**(-) 11082.69**	**54622.11**	**39286.42**	**64636.26**	**80722.64**

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

अवधि 2019–24 के दौरान, राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी। वर्ष 2019–20 के दौरान, राज्य का राजस्व अधिशेष (₹ 67,560 करोड़) एवं राजकोषीय अधिशेष (₹ 11,083 करोड़) मुख्य रूप से निक्षेप निधि के ₹ 71,180 करोड़ के पुस्तकीय अवशेष के राजस्व प्राप्ति लेखे में, बिना किसी वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के, अन्तरण के कारण था। वर्ष 2023–24 के दौरान राज्य ने ₹ 80,722.64 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया, जो मुख्य रूप से बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण के माध्यम से वित्तपोषित था।

2.6.2 ऋण की रूपरेखाः परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान रूपरेखा ऋण के पुनर्भुगतान या ऋण की सर्विस के लिए सरकार की ओर से प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 31 मार्च 2024 को ₹ 7,67,872 करोड़ के बकाया सकल दायित्वों में से, ₹ 1,00,766 करोड़ लोक लेखे के दायित्वों से सम्बन्धित थे। लोक ऋण (₹ 6,67,106 करोड़) की परिपक्वता रूपरेखा **तालिका 2.30** एवं **चार्ट 2.16** में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.30 : लोक ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	लोक ऋण (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
0-2	71056.96	10.65
2-5	161413.54	24.20
5-10	285008.02	42.72
10 वर्ष से अधिक	149627.50*	22.43
योग	**667106.02**	**100**

स्रोत : वित्त लेखा 2023–24 के आधार पर आगणित

** इसमें भारत सरकार का ₹ 43,542.01 करोड़ रुपये का ऋण सम्मिलित है, जिसके भुगतान की शर्तें जैसे कि किश्तें, ऋण भुगतान की अवधि आदि वित्त मंत्रालय से प्रतीक्षित हैं ।*

चार्ट 2.16: ऋण परिपक्वता की रूपरेखा

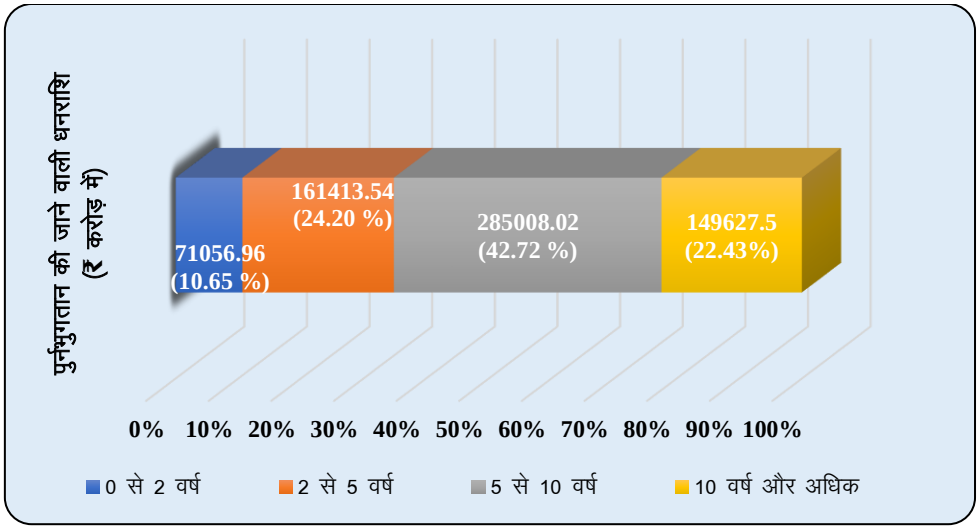

स्रोत: वित्त लेखा 2023–24

लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि वर्ष 2024–26, 2026–29, 2029–34 एवं 2034 के उपरान्त की अवधि के दौरान ऋण चुकाने के लिए राज्य की देयता क्रमशः ₹ 71,056.96 करोड़ (10.65 प्रतिशत), ₹ 1,61,413.54 करोड़ (24.20 प्रतिशत), ₹ 2,85,008.02 करोड़ (42.72 प्रतिशत) और ₹ 1,49,627.50 (22.43 प्रतिशत) होगी।

आगामी नौ एवं अधिक वर्षो की अवधि के लिये 31 मार्च 2024 को अवशेष लोक ऋण के पुनर्भुगतान का वर्षवार सारणी **तालिका 2.31** में प्रदर्शित है।

तालिका 2.31: लोक ऋण का पुनर्भुगतान सारणी

(₹ करोड़ में)

पुनर्भुगतान की अवधि	लोक ऋण का पुनर्भुगतान		योग	प्रतिशत
	आन्तरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम		
2024-25	29007.44	709.43	29716.87	4.45
2025-26	40731.06	609.02	41340.08	6.20
2026-27	51076.52	861.90	51938.42	7.79
2027-28	53172.28	675.10	53847.38	8.07
2028-29	54971.85	655.90	55627.75	8.34
2029-30	77018.87	633.36	77652.23	11.64
2030-31	81985.73	571.48	82557.21	12.38

पुनर्भुगतान की अवधि	लोक ऋण का पुनर्भुगतान		योग	प्रतिशत
	आन्तरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम		
2031-32	65419.37	474.70	65894.06	9.88
2032-33	20877.11	413.71	21290.81	3.19
2033-34	37229.32	384.38	37613.70	5.63
2034-35 से आगे **	101327.69	46313.62	147641.32	22.13
राज्य सरकार से समाधान के अन्तर्गत*	1961.69	24.29	1986.19	0.30
योग	**614778.93**	**52327.09**	**667106.02**	**100**

स्रोत: वित्त लेखा 2023–24

नोट : तालिका 2.31 में अवशेष ऋण स्टाक पर देय ब्याज को सम्मिलित नहीं किया गया है ।

* *इसमें भारत सरकार द्वारा बट्टे खाते में डाले जाने वाले ₹13.12 करोड़ सम्मिलित हैं।*

** *इसमें भारत सरकार का ₹43,542.01 करोड़ का ऋण सम्मिलित है, जिसके लिए ऋण की चुकौती की शर्तें जैसे कि किश्तें, ऋण चुकौती की अवधि आदि वित्त मंत्रालय से प्रतीक्षित हैं।*

2.7 ऋण संवहनीयता विश्लेषण

ऋण संवहनीयता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडो, डोमर दृष्टिकोण और एफआरबीएम लक्ष्यों के लिये व्यापक–राजकोषीय मापदंडो के अनुपालन के आधार पर किया गया है। विश्लेषण का परिणाम निम्नलिखित प्रस्तरों में दिया गया है:

(अ) भविष्य में अपने ऋण दायित्वों की सर्विस करने की राज्य की क्षमता को ऋण संवहनीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए ऋण की संवहनीयता वर्तमान या प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल संपत्ति की पर्याप्तता और ऐसे उधारों से प्रतिफल के साथ अतिरिक्त उधार की लागत के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि की ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के साथ तारतम्यता होनी चाहिए। ऋण संवहनीयता, ऋण विमोचन (मूलधन एवं ब्याज भुगतान) के सकल ऋण प्राप्तियों से अनुपात और उपलब्ध ऋण धनराशि के अनुप्रयोग पर भी निर्भर करती है। ऋण विमोचन का ऋण प्राप्तियों से अनुपात पूँजीगत व्यय हेतु लिये गये ऋण की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुए यह दर्शाता है कि ऋण प्राप्तियों का उपयोग ऋण विमोचन में किस सीमा तक किया गया।

राज्य के लोक ऋण की ऋण संवहनीयता के संकेतक **तालिका 2.32** एवं **चार्ट 2.17** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.32 : ऋण संवहनीयता के संकेतकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	ऋण संवहनीयता संकेतक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	सकल दायित्व अथवा सकल ऋण[17] (₹ करोड़ में)	502412.02	564971.68	612956.33	662316.24	767872.25
2	सकल ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-)3.03	12.45	8.49	8.05	15.94

[17] बकाया लोक ऋण मुख्य शीर्षों 6003–आन्तरिक ऋण तथा 6004–केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में वर्ष के 31 मार्च को अवशेष का योग है।

कम संख्या	ऋण संवहनीयता संकेतक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
3	जीएसडीपी (नामिनल के रुप मे) (₹ करोड़ में)	1700062	1640097	1981367	2284104	2547861
4	नामिनल जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.45	(-)3.53	20.81	15.28	11.55
5	*सकल ऋण /जीएसडीपी (प्रतिशत में)*	29.55	34.08	30.22	28.38	29.58
6	**लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा**					
6क	0–2 वर्ष	53412.02	51328.15	43864.24	51000.49	71056.96
6ख	2–5 वर्ष	70543.05	91025.84	121117.55	143677.09	161413.54
6ग	5–10 वर्ष	268157.27	312312.04	326181.35	297923.57	285008.02
6घ	10 वर्ष से अधिक	24465.24	21992.94	32521.08	75239.54	149627.50
7	सकल उधारियों का भुगतान (प्रतिशत में)	144.81	79.66	95.81	94.56	68.51
8	सकल ऋण के सापेक्ष उपलब्ध निवल ऋण (प्रतिशत में)*	(-)44.81	20.34	4.19	5.44	31.49
9	सकल ऋण पर ब्याज का भुगतान	34813	37428	42876	43008	47277
10	सकल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत में)	7.69	7.36	7.72	7.25	7.24
11	राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	9.50	12.64	11.56	10.31	10.15
12	राजस्व घाटा /अधिशेष	67560	(-)2367	33430	37263	36013
13	प्राथमिक राजस्व संतुलन (पीआरबी)(12+9)	102373.00	35061.00	76306.00	80272	83290
14	प्राथमिक संतुलन (पीबी)	45896	(-)17194	3589	(-)21628	(-)33446
15	(पीबी) / जीएसडीपी (प्रतिशत मे)	2.70	(-)1.05	0.18	(-)0.95	(-)1.31
16	निवेश पर प्रतिफल तथा सकल ऋण पर प्रभावी ब्याज दर में अंतर	(-)7.31	(-)7.03	(-)7.47	(-)7.12	(-)7.20
17	तरलता प्रबन्धन (आरबीआई के पास उपलब्ध वित्तीय इन्सट्रूमेंट सुविधा का उपयोग) (अवसरों की संख्या)	0	0	0	0	0
18	ऋण संवहनीयता (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक घाटा)	44722	(-)75522	78931	27428	(-)3504
19	**डोमार मानदण्ड**					
19.क	जीएसडीपी (स्थिर मूल्यों के रुप मे)	1141630	1090378	1214875	1324255	1423358
19.ख	वास्तविक वृद्धि (स्थिर रुप मे)	4.03	(-)4.49	11.42	9.00	7.48
19.ग	सीपीआई के अनुसार मुद्रास्फीति	5.86	5.26	5.79	7.07	5.75
19.घ	ब्याज की प्रभावी दर	7.69	7.36	7.72	7.25	7.24
19.च	ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर (ब्याज की प्रभारी दर – मुद्रास्फीति)	1.83	2.10	1.93	0.18	1.49
19.छ	ब्याज वृद्धि अंतर (वास्तविक वृद्धि – ब्याज की वास्तविक प्रभावी दर) (19ख – 19च)	2.20	(-)6.59	9.49	8.82	5.99

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* *सकल ऋण पर प्रभावी ब्याज की दर की गणना– (अ) राज्य के पुनर्भुगतान दायित्व से रहित जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020–21 (₹ 6,007 करोड़) तथा 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 (₹ 14,146.94 करोड़) के बैक–टू–बैक ऋण (ब)राज्यों को पूंजीगत व्यय/निवेश के लिये भारत सरकार से 50 वर्षों के लिये प्राप्त ब्याज रहित ऋण वर्ष 2020–21 (₹ 976 करोड़), वर्ष 2021–22 (₹ 1483 करोड़), वर्ष 2022–23 (₹ 7940.50 करोड़) एवं वर्ष 2023–24 (₹ 19215.08 करोड़) तथा (स) ब्याज रहित आरक्षित निधियों तथा जमा में वर्ष 2019–20 (₹ 21295.49 करोड़), वर्ष 2020–21 (₹ 22356.61 करोड़), 2021–22 (₹ 20814.85 करोड़), 2022–23 (₹ 26824.60 करोड़) तथा वर्ष 2023–24 (₹ 29030.15 करोड़) को घटाकर सकल बकाया ऋण की गणना की गयी है।*

चार्ट 2.17 : ऋण संवहनीयता संकेतांक

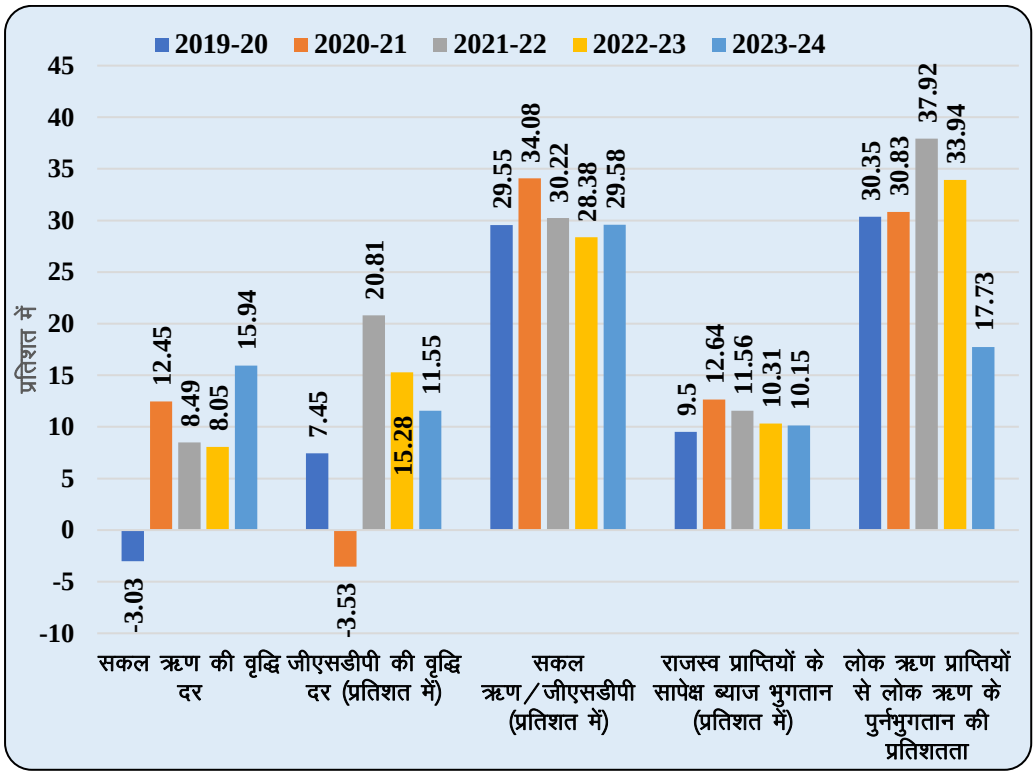

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.32 तथा **चार्ट 2.17** का विश्लेषण निम्नानुसार इंगित करता है:

- वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष प्राप्त बैक टू बैक ऋण को छोड़कर राज्य का सकल ऋण वर्ष 2019–20 में ₹ 5,02,412 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023–24 में ₹ 7,53,725 करोड़ हो गया। वर्ष 2023–24 में यह विगत वर्ष की तुलना में 16.29 प्रतिशत बढ़ा। यद्यपि, राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता के बिना जीएसटी क्षतिपूर्ति के सापेक्ष 2020–21 (₹ 6,007 करोड़) और 2021–22 (₹ 8,139.94 करोड़) के दौरान प्राप्त बैक–टू–बैक ऋण को संज्ञान में लेते हुए, राज्य का लोक ऋण विगत वर्ष की तुलना में 15.94 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 31 मार्च 2024 को ₹ 7,67,872.25 करोड़ था।

- इसके अतिरिक्त औसत सकल दायित्व से जीएसडीपी अनुपात के रूप में मापा गया राज्य का ऋण भार अवधि 2019–24 के दौरान उतार–चढ़ाव भरा रहा। यह वर्ष 2019–20 में 29.55 प्रतिशत था, किन्तु वर्ष 2020–21 में 4.53

प्रतिशत के उच्च स्तर को प्राप्त करते हुए 34.08 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुॅच गया । इस बढ़ोत्तरी को महामारी के प्रभाव के कारण उधार आवश्यकताओं में अभूतपूर्व वृद्धि के लिये उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। आर्थिक सुधार एवं राजकोषीय तनाव कम होने के साथ राज्य का ऋण भार महामारी के बाद के वर्ष (2021–22) में सुधरना प्रारंभ हुआ और वर्ष 2023–24 में सीमित वृद्धि दर्ज करने से पूर्व वर्ष 2022–23 तक घटता रहा, जिससे सकल दायित्व–जीएसडीपी अनुपात (29.58 प्रतिशत) महामारी पूर्व के स्तर पर पहुॅच गया ।

- वर्षवार विश्लेषण से स्पष्ट है कि पॉच में से तीन वर्षों (2020–21, 2022–23 एवं 2023–24) में नकारात्मक प्राथमिक संतुलन के बावजूद वर्ष 2019–24 की अवधि में वृद्धि ब्याज अन्तर (जीआईडी) उतार–चढ़ाव भरा रहा, किन्तु यह अनुकूल रहा, जिससे सकल दायित्व–जीएसडीपी में 2020–21 में 34.08 प्रतिशत से सुधार हुआ तथा यह 2023–24 में 29.58 प्रतिशत हो गया, जिससे यह महामारी पूर्व स्तर पर पहुॅच गया।

- डोमार मापदण्ड के अनुसार उतार–चढ़ाव की प्रवृत्ति के बावजूद वर्ष 2019–24 की अवधि में औसत वास्तविक ब्याज दर, औसत वास्तविक वृद्धि के नीचे रहकर अनुकूल रही, जो दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि उधार लेने की लागत को वहन करने के लिये पर्याप्त थी । वर्ष 2021–22 में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार द्वारा समर्थित वास्तविक ब्याज दर में कमी तथा उसके उपरान्त उतार–चढ़ाव भरी वास्तविक ब्याज दर की तुलना में वृद्धि ने राज्य को वर्ष 2019–24 की अवधि में उधार लेने की लागत को वहन करने में सहायता की । वास्तविक वृद्धि के विपरीत सीपीआई मुद्रास्फीति दर जो 5 से 7 प्रतिशत के मध्य मंडरा रही थी, ने राज्य को वर्ष 2021–24 की अवधि में अनुकूल जीआईडी बनाये रखने के लिये वास्तविक ब्याज को वास्तविक वृद्धि के नीचे रखने में सहायता की ।

- ऋण संवहनीयता की स्थिति दर्शाती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ फैलाव मात्रा शून्य है तो ऋण–जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा या ऋण अन्ततः स्थिर हो जायेगा। यदि यह धनात्मक है तो ऋण–जीएसडीपी अनुपात अन्ततः नीचे जायेगा और इसके विपरीत यदि फैलाव मात्रा के साथ–साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है तो ऋण–जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि होगी। जैसा कि **तालिका 2.32** में आगणित किया गया है, ऋण स्थिरीकरण संकेतक 2020–21 में गिरावट दिखाने के बाद 2021–24 में सकारात्मक हो गया ।

- ब्याज भुगतान के उच्च प्रतिशत के कारण प्राथमिकता के क्षेत्रों के लिए कम निधि रह जाती है। राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज भुगतान का प्रतिशत सरकार के लिए एक निर्धारित अवधि में उसके ऋणों पर ब्याज भुगतान के सापेक्ष सुरक्षा की सीमा का आंकलन करता है। राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत 2020–21 के दौरान 12.64 प्रतिशत से घटकर 2023–24 के दौरान 10.15 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2019–24 के दौरान लोक ऋण के ब्याज और पुनर्भुगतान के प्रावधान के पश्चात् वर्तमान परिचालनों के लिये उधार से उपलब्ध निवल निधि में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी और यह वर्ष 2021–22 के

दौरान कुल लोक ऋण का न्यूनतम 4.19 प्रतिशत एवं 2023–24 के दौरान अधिकतम 31.49 प्रतिशत था।

(ब) वित्त आयोग प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.33: वित्त आयोग प्रतिवेदन में वित्तीय समुच्चय हेतु लक्ष्य के साथ–साथ उपलब्धि हेतु निर्धारित लक्ष्य

मापदण्ड		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
जीएसडीपी के सापेक्ष लम्बित दायित्वों का प्रतिशत	**लक्ष्य**	31.67	40.90	40.00	40.50	40.20
	प्राप्ति	29.55	34.08*	30.22*	28.38*	29.58*

** जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष वर्ष 2020–21 (₹ 6,007 करोड़) और 2021–22 (₹ 8,139.94 करोड़) के दौरान प्रदान किये गये बैक टू–बैक ऋण जिस पर राज्य का कोई पुनर्भुगतान दायित्व नहीं है; को सम्मिलित किये बिना गणना की गई।*

जैसा कि **तालिका 2.33** में दर्शाया गया है 2019–24 की अवधि के दौरान, कुल अवशेष ऋण का जीएसडीपी से अनुपात वित्त आयोग के प्रतिवेदन में निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत था।

जैसा कि **तालिका 2.32** से स्पष्ट है कि डोमर माडल विश्लेषण के अनुसार 2019–20, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में ब्याज की वृद्धि दर जीएसडीपी (जी–आर>0) की वृद्धि दर से कम थी। तथापि डोमर गैप के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2020–21 में वास्तविक ब्याज दर वास्तविक वृद्धि दर से आगे निकल गयी थी। सकारात्मक डोमर गैप के साथ–साथ प्राथमिक अधिशेष ने वर्ष 2021–22 में ऋण जीएसडीपी अनुपात को कम किया। अग्रेतर, 2023–24 में प्राथमिक घाटा होने के बावजूद 2023–24 में सकारात्मक डोमर गैप प्राथमिक घाटे को समाहित करने में सक्षम था तथा आगे ऋण जीएसडीपी अनुपात को घाटे की प्रवृत्ति की ओर रखने में सहयोगी था, जैसा कि **तालिका 2.32** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऋण जीएसडीपी अनुपात में विगत पाँच वर्षों में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति थी तथा इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि ऋण संवहनीयता के मार्ग पर था।

2.7.1 उधार ली गयी निधि का उपयोग

उधार लिये गये निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। 2019–24 की अवधि के दौरान ऋण ली गई धनराशि के उपभोग की स्थिति को **तालिका 2.34** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.34 : उधार ली गई निधि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	**लोक ऋण प्राप्तियां**	**73809**	**86859**	**75751**	**66847**	**120654**
2	पूर्व के लोक ऋण का पुनर्भुगतान (मूलधन) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	22401 (30.35)	26777 (30.83)	28726 (37.92)	22690 (33.94)	21389 (17.73)
3	पूँजीगत व्यय (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	59998 (81.29)	52237 (60.14)	71443 (94.31)	93028 (139.17)	110555 (91.63)
4	निवल संवितरित ऋण एवं अग्रिम (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	(-)3521 (-4.77)	18 (0.02)	674 (0.89)	8871 (13.27)	6181 (5.12)
5	उधार से किये गये राजस्व व्यय का भाग क्र.सं. 5 = क्र.सं. (1-2-3-4) (लोक ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत)	(-)5069 (-6.87)	7827 (9.01)	(-) 25092 (33.12)	(-) 57742 (86.38)	(-) 17471 (14.48)

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.34 यह दर्शाती है कि वर्ष 2019–20, 2021–22, 2022–23 और 2023–24 की अवधि में राजस्व व्यय के लिये उधार का उपयोग नहीं किया गया था तथा पूँजीगत लेखें के एक भाग पर व्यय की पूर्ति राज्य के राजस्व अधिशेष से की गयी।

2.7.2 प्रत्याभूतियों की स्थिति–आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या अन्य निकायों द्वारा निर्गत बाण्ड तथा लिये गये अन्य ऋण के लिये प्रत्याभूति निर्गत करती है। प्रत्याभूतियॉ, ऋणकर्ता जिनके लिए प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक की स्थिति में, राज्य की संचित निधि पर भारित आकस्मिक देयताएं हैं।

वित्त लेखे का विवरण संख्या 9 तथा 20, राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण दर्शाता है। इस संकलन में विवरण सीधे राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा विगत पाँच वर्षों में प्रदत्त अधिकतम प्रत्याभूति और लम्बित प्रत्याभूति की धनराशि **तालिका 2.35** में दी गई है।

तालिका 2.35 : राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूति की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्ष के दौरान प्रत्याभूति की अधिकतम धनराशि	132499.27	175469.24	206431.78	193244.82	184274.02
प्रत्याभूति की लम्बित धनराशि	118696.49	150554.00	174218.42	170780.52	163399.82

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023–24 की अवधि में प्रत्याभूति में ₹ 13,493.98 करोड़ की वृद्धि हुई तथा ₹ 15,651.02 करोड़ की प्रत्याभूति हटा दी गयी थी । लम्बित प्रत्याभूति वर्ष 2022–23 के ₹ 1,70,780.52 करोड़ से 4.32 प्रतिशत घटकर वर्ष 2023–24 में ₹ 1,63,399.82 करोड़ रह गयी। वर्ष 2023–24 के दौरान, लम्बित प्रत्याभूति राजस्व प्राप्ति (₹ 4,65,801 करोड़) का 35.08 प्रतिशत था और वर्ष के दौरान राज्य सरकार की जीएसडीपी (₹ 25,47,861 करोड़) का 6.41 प्रतिशत था। 31 मार्च 2024 को लम्बित प्रत्याभूति मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र की तीन कम्पनियों (₹ 1,28,349 करोड़), अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत एक इकाई (₹ 28,450 करोड़), सहकारिता विभाग के अन्तर्गत चार इकाईयों (₹ 3,149 करोड़) तथा चीनी उद्योग विभाग के अन्तर्गत दो इकाईयों (₹ 1,808 करोड़) से सम्बन्धित थी। वर्ष 2023–24 के दौरान, प्रत्याभूति शुल्क/कमीशन के रूप में ₹ 4.43 करोड़ की धनराशि उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम से प्राप्त हुई थी। अग्रेतर, वर्ष 2023–24 के दौरान किसी प्रत्याभूति का आह्वान नहीं किया गया था।

2.7.3 नकद अवशेष का प्रबन्धन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद अवशेष बनाए रखना होता है। यदि किसी दिन अवशेष न्यूनतम सहमत धनराशि कम हो जाती है, तो समय–समय पर सामान्य आर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/विशेष आर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य डब्ल्यूएमए की सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकद अवशेष को भारत सरकार की लघु और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों और कोषागार देयकों में निवेश करती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त आय को मुख्य शीर्ष '0049–ब्याज प्राप्तियां' के अन्तर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद अवशेष में समेकित निक्षेप निधि के सरकारी प्रतिभूतियों का निवेश सम्मिलित है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार अधिक नकद अवशेष होने के बावजूद बाजार ऋण का सहारा ले क्योंकि इससे उत्पादक उपयोग में लाए बिना नकद अवशेष में और वृद्धि होती है।

वर्ष 2023–24 के दौरान नकद अवशेष तथा राज्य सरकार द्वारा नकद अवशेष में से किए गए निवेश को **तालिका 2.36** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.36 : वर्ष 2023–24 के दौरान नकद अवशेष तथा उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक अवशेष	31 मार्च 2024 को अन्तिम अवशेष
अ. सामान्य नकद अवशेष		
कोषागार में नकद	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	102.77	154.26
पारगमन में प्रेषण	0.00	0.00
नकद अवशेष निवेश लेखा में किया गया निवेश	27188.94	51163.20
योग(अ)	**27291.71**	**51317.46**
ब. अन्य नकद अवशेष तथा निवेश		

	1 अप्रैल 2023 को प्रारम्भिक अवशेष	31 मार्च 2024 को अन्तिम अवशेष
विभागीय अधिकारियों यथा लोक निर्माण, वन अधिकारी के पास नकद	10.78	10.79
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.50	0.51
निर्धारित निधियों में निवेश	5545.20	7045.20
योग(ब)	**5556.48**	**7056.50**
योग (अ+ब)	**32848.19**	**58373.96**

स्रोतः वित्त लेखे 2023–24

वर्तमान वर्ष के अन्त में राज्य सरकार की नकद अवशेष धनराशि ₹ 58,373.96 करोड़ थी। वर्ष 2022–23 के अन्त में अवशेष की तुलना में इसमें ₹ 25,525.77 करोड़ (77.71 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2023–24 के दौरान नकद अवशेष निवेश लेखा में निवेश का प्रारम्भिक अवशेष ₹ 27,188.94 करोड़ था। ₹ 7,45,026.39 करोड़ के कोषागार देयक क्रय किये गए और ₹ 7,21,025.81 करोड़ की धनराशि के निवेश विक्रय किये गये (भारत सरकार की दीर्घकालिक प्रतिभूतियों के अन्तर्गत मोचन के रूप में प्राप्त ₹ 26.31 करोड़ को सम्मिलित करते हुए), जिससे वर्ष के अन्त में लेखे में ₹ 51,163.20 करोड़ की धनराशि अवशेष रही। कोषागार देयकों और भारत सरकार की दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज के रूप में क्रमशः ₹ 312.46 करोड़ और ₹ 7.73 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई।

नकद अवशेष निवेश लेखे के अन्तर्गत ट्रेजरी बिलों में निवेश का राज्य सरकार का संव्यवहार वर्ष 2019–20 के दौरान ₹ 4,93,843 करोड़ से घटकर वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 4,64,321 करोड़ हो गया। यह वर्ष 2021–22 में बढ़कर ₹ 6,91,373 करोड़ और वर्ष 2022–23 में ₹ 8,42,096 करोड़ हो गया तथा वर्ष 2023–24 मे अग्रेतर घटकर ₹ 7,45,026 करोड़ हो गया । नकद शेष निवेश खाते के अनुरूप, नकद अधिशेष (सामान्य नकद अवशेष) वर्ष 2019–24 की अवधि के दौरान अस्थिर था, यह वर्ष 2019–20 (31 मार्च 2020) में ₹ 21,387 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020–21 (31 मार्च 2021) में ₹ 30,597 करोड़ और वर्ष 2021–22 (31 मार्च 2022) में ₹ 41,477 करोड़ हो गया । यह वर्ष 2022–23 में घटकर ₹ 27,292 करोड़ हो गया (31 मार्च 2023) तथा वर्ष 2023–24 (31 मार्च 2024) में बढ़कर ₹ 51,317 करोड़ हो गया। वर्ष 2019–24 की अवधि के लिए नकद शेष निवेश खाते की स्थिति और उस पर अर्जित ब्याज **तालिका 2.37** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.37: नकद अवशेष निवेश लेखा (मुख्यशीर्ष 8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	अंतिम अवशेष	वृद्धि(+)/कमी (-) (अन्तिम अवशेष–प्रारम्भिक अवशेष)	उपार्जित ब्याज
2019-20	26684.36	21150.71	(-) 5533.65	596.15
2020-21	21150.71	30459.45	9308.74	249.67
2021-22	30459.45	41825.24	11365.79	346.99
2022-23	41825.24	27188.94	(-) 14636.30	402.60
2023-24	27188.94	51163.21	23974.26	320.19

स्रोतः सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2023–24 के दौरान नकद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश के माहवार प्रवाह को **चार्ट 2.18** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.18: वर्ष 2023–24 के दौरान नकद अवशेष तथा निवल नकद अवशेष निवेश का माहवार प्रवाह

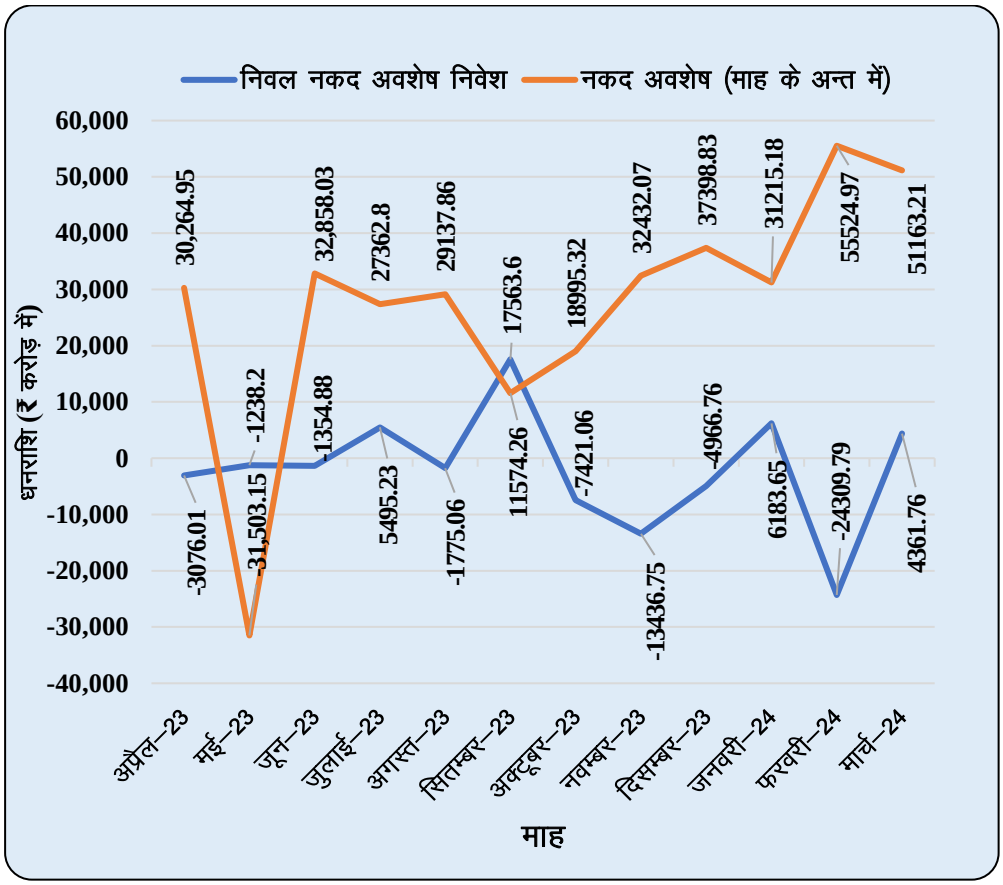

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं हक0) उत्तर प्रदेश द्वारा अनुरक्षित आँकड़े

राज्य सरकार द्वारा लिये गये बाजार ऋण तथा राज्य सरकार के पास उपलब्ध नकद अवशेष की स्थिति **चार्ट 2.19** में प्रस्तुत की गयी है।

चार्ट 2.19: अवधि 2019–24 के दौरान नकद अवशेष के सापेक्ष बाजार ऋण

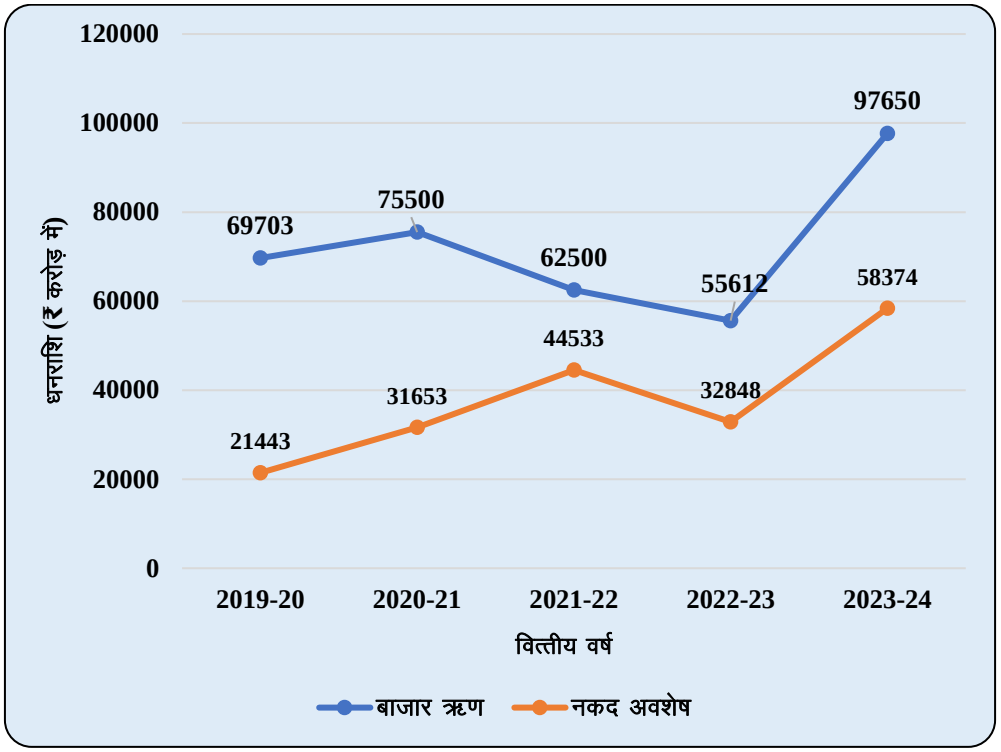

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2.7.4 नकद अवशेष में भिन्नता

महालेखाकार के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2024 को नकद अवशेष धनराशि ₹ 154.26 करोड़ (डेबिट) थी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित धनराशि ₹ 59.06 करोड़ (क्रेडिट) थी। इस प्रकार ₹ 95.20 (डेबिट) करोड़ का निवल अन्तर था, जो समाधान की प्रक्रिया में था।

2.8 निष्कर्ष

सकारात्मक संकेतक

- राजकोषीय घाटा (–) ₹ 80,723 करोड़ जीएसडीपी का 3.17 प्रतिशत था, जो कि यूपीएफआरबीएम (संशोधन) बिल 2021 द्वारा निर्धारित 3.39 प्रतिशत के राजकोषीय लक्ष्य के अन्दर था।
- वर्ष 2022–23 के सापेक्ष वर्ष 2023–24 में राजस्व प्राप्ति में 11.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- राज्य ने 2023–24 के दौरान ₹ 36,013.28 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज किया था।
- राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय में वर्ष 2019–20 से 2023–24 के दौरान घटने की प्रवृत्ति देखी गई। वर्ष 2023–24 में यह राजस्व व्यय का 55.72 प्रतिशत था।
- राज्य के ऋण–जीएसडीपी अनुपात में वर्ष 2020–21(34.08 प्रतिशत) से वर्ष 2023–24 (29.58 प्रतिशत) घटने की प्रवृत्ति थी।

- वर्ष 2023–24 में सकारात्मक डोमर गैप प्राथमिक घाटे को समाहित करने में सक्षम था तथा प्रारम्भिक रूप से ऋण जीएसडीपी अनुपात को घटने की प्रवृत्ति की ओर रखने में सहयोगी था।

संकेतक जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है

- वर्ष 2023–24 के दौरान, राज्य सरकार ने समेकित निक्षेप निधि में ₹ 1639.76 करोड़ का कम अंशदान हस्तांतरित किया था, जिसका उपयोग राज्य सरकार की लम्बित देनदारियों के मोचन के लिये किया जाना था।
- राज्य सरकार ने राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि की शेष राशि पर वर्ष 2023–24 के लिए ₹ 34.01 करोड़ का ब्याज जमा नहीं किया था।
- राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि में ₹ 1707.81 करोड़ का अंशदान नहीं किया था, जो कि सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति में से, उधार प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा चूक की स्थिति में ऋण की सर्विसिंग के दायित्व की पूर्ति हेतु था।

2.9 संस्तुतियाँ

1. *राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समेकित निक्षेप निधि में वार्षिक अंशदान विगत वर्ष के अन्त में बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत हो, जैसा कि समेकित निक्षेप निधि योजना में दिया गया है, जिससे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रेतर निवेश हेतु एवं भविष्य की अवशेष देयताओं के भुगतान हेतु निधि में पर्याप्त अवशेष उपलब्ध हो।*

2. *राज्य सरकार को मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए भारित पूरी धनराशि को इस निधि को हस्तांतरित करना चाहिए।*

3. *राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एसडीआरएफ के अन्तर्गत अवशेष धनराशि का निवेश करना चाहिये और उपार्जित ब्याज को निधि में जमा करना चाहिये।*

4. *राज्य सरकार को अधिसूचना के अनुसार प्रत्याभूति विमोचन निधि में वार्षिक अंशदान सुनिश्चित करना चाहिये जैसा कि उत्तर प्रदेश प्रत्याभूति विमोचन निधि योजना में आवश्यक है।*